राष्ट्रीय विचारों का पाक्षिक

संयुक्तांक

पाथेय कण

माघ कृष्ण 3 व माघ शुक्ल 3 , वि. 2081, युगाब्द 5126, 16 जनवरी व 1 फरवरी 2025

39 वर्षों से निरंतर

संविधान और भारतीयता

संविधान के 75 वर्ष

न्याय स्वतंत्रता और समरसता की यात्रा

संविधान में संस्कृति के तत्व

प्राचीन भारत में थे समृद्ध गणतंत्र

संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान

www.patheykan.com

patheykan@gmail.com @patheykanofficial @patheykanofficial @patheyofficial1 @patheykan

ADARSH VIDYA MANDIR
SHANKAR VIDYA PEETH

(A Place of Learning with a Sense of Nationality)

A Residential English Medium Senior Secondary Public School for Boys

(C.B.S.E. Affiliation No. - 1730119, School Code No. 10502. under the aegis of Vidya Bharti)

SALIENT FEATURES

100% result CBSE Board ...

Prayer

Ghosh

Library

Physics Lab

Biology Lab

Computer Lab

Chemistry Lab

E-Lab

SCHOOL

- ★ The school is the modern concept of our age old Gurukul tradition.
- ★ Value based education guided by Vedas.
- ★ Lush green campus situated away from din and bustle of the city.
- ★ Well qualified, experienced and dedicated faculty.
- ★ Spacious classroom having LCD projectors and smart class enabled facilitation & Time Line Programs.
- ★ Bridge enrichment classes for slow learners.
- ★ Focus on integral development of the child Physical, Moral, Spiritual, Sanskrit & Sanskriti, Music, Art & Craft
- ★ E-class room and well furnished computer lab.
- ★ English Language Strengthening.

HOSTEL

- ★ Dedicated wardens and homely care.
- ★ Satvik (Pure Vegetarian) and delicious food.
- ★ Facilities-entertaiment, hot water for bath, news paper, magazine, purified drinking water, generator, play grounds.
- ★ Furnished campus, security-guard and CCTV surveillance.
- ★ Celebration of Indian festivals- Dusshera, Navrata, Ganesh Chaturthi, Holi etc.....
- ★ Well equipped indoor & outdoor games facilities.
- ★ Disciplined routine.
- ★ Educational Tour.

Handball Court

Football Ground

Basketball Court

Volleyball Court

Badminton Court

Kho-Kho Ground

Shooting Range

Malkhamb

ADMISSION ANNOUNCEMENT 2025-2026

1. Admissions open for class V to IX & XI Science stream (limited seats).
2. Eligibility test will be conducted on 16th March, 2025 Sunday at 11.00 am, at Mount Abu & Other Centers mentioned below.

- **SARASWATI BALIKA SR. SECONDARY SCHOOL**
  Jawahar Nagar, Sector-2, Near Mama Ki Hotel - Jaipur, Ph. No. 0141-2654533
- **ADARSH VIDYA MANDIR**
  J.N. Vyas Colony, Sector-4 Bikaner, Mob. No. : 8875321902
- **'SHRUTAM' VIDYA BHARTI**
  Jodhpur, Prant, Kamla Nehru Nagar-Jodhpur, Ph. No. : 0291-2945038
- **VIDYA BHARTI GUJARAT PRADESH**
  6-B, Hari Nagar Society, Anand Park-Kankariya-Ahmedabad Mob. No. : 8780538411
- **ADARSH VIDYA MANDIR**
  Gadra Road, Adrash Nagar, Barmer (Raj.) Mob. No. : 6376478143
- **ADARSH VIDYA MANDIR (SEC.)**
  Front of Govt. Collage, Bhinmal, Jalore (Raj.) Mob. No. : 8079055224
- **NAVIN ADARSH VIDYA MANDIR**
  Near Bhaggu Kua, Suratgarh, (Shriganganagar)
- **VIDYA NIKETAN (SR. SEC.) SCHOOL**
  Hiran Magri, Sector - 4, Udaipur Ph. No. : 0294-2460984 / 9680127055
- **ADARSH VIDYA NIKETAN MADHYAMIK VIDYALAYA**
  Puskar Marg, Regional College Chouraha, Ajmer M. No. : 9511594284

3. Prospectus and Syllabus with model question papers for eligibility test can be obtained by sending a demand Draft of Rs. 625/- in favour of "ADARSH VIDYA MANDIR, MOUNT ABU" or can be downloaded from website (send with DD. of Rs. 625/-)

Parmendra Dashora
Chairman

Mahesh Agarwal
Secretary

Dheeraj Kumar Sharma
Principal

Ph. 9214174743, 9214673582 (O), 9214673627 (H) E-mail : avmsvp@yahoo.com I www.adarshvidyamandir.org

पाक्षिक
पाथेय कण

माघ कृष्ण 3 व
माघ शुक्ल 3
वि. सं. 2081, यु. 5126
16 जनवरी व 1 फरवरी,
2025 (संयुक्तांक)
वर्ष : 40 अंक : 19

सम्पादक
रामस्वरूप अग्रवाल

सह सम्पादक
मनोज गर्ग

प्रबंध सम्पादक
ओमप्रकाश

सह प्रबंध सम्पादक
श्याम सिंह

अक्षर संयोजन
कौशल रावत

प्रबंधकीय कार्यालय
'पाथेय भवन'
4, मालवीय संस्थानिक क्षेत्र, अग्रसेन मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर-302017 (राजस्थान)
E-mail
patheykan@gmail.com

पाथेय कण संस्थान के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक: माणकचन्द

आगामी सत्र से
समर्पण निधि
सामान्य 200/-
विशेष 2000/-

पाथेय कण प्राप्त नहीं होने पर प्रात: 10 से सायं 5 बजे तक 79765 82011 पर संपर्क करें। इसके अतिरिक्त समय में वाट्सएप व मैसेज करें अथवा ईमेल पर जानकारी दें। (अति आवश्यक होने पर मो.न. 9166983789 पर मोहित जी से संपर्क कर सकते हैं)

पाथेय कण समाज जागरण की पत्रिका है। इसे बिना किसी लाभ के प्रकाशित किया जाता है।

अनुक्रमणिका

बाबा साहब अंबेडकर द्वारा संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सौंपने के बाद का चित्र

भारत के संविधान में भले ही कुछ प्रावधान विश्व के कई देशों के संविधानों से प्रेरित दिखाई दें, संविधान में प्रकट हुए विचार और संवैधानिक मूल्य हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और हमारी आकांक्षाओं से प्रेरित हैं।

प्रस्तावना में प्रतिबिंबित हैं भारत के जीवन मूल्य	7	पाथेय डेस्क
संविधान में भारतीय संस्कृति के तत्व	8	राम मनोहर शर्मा
संविधान पर विहंगम दृष्टि	10	रामस्वरूप अग्रवाल
भारतीय संविधान का मूल आधार है-सर्वधर्म समभाव	11	डॉ. सुरेश अग्रवाल
संविधान हमारे लोगों ने बनाया	12	पं. दीनदयाल उपाध्याय
संविधान की आत्मा है भारतीय	13	डॉ. सुरेन्द्र कुमार जाखड़
प्राचीन भारत में संवैधानिक व्यवस्था	15	डॉ.मोहन लाल साहु
संविधान सभा में भारतीय विरासत का उल्लेख	18	सूर्य प्रताप सिंह राजावत
इंडिया जो कि भारत है	20	शिखा शर्मा
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारत का संविधान	22	पाथेय डेस्क
मूल कर्तव्य	23	पाथेय डेस्क
रामजन्मभूमि विवाद सुलझा संवैधानिक तरीके से	24	अजय नागर
राष्ट्रीय झंडा तिरंगा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ	24	लेखाराम विश्नोई
संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान	25	लोकेन्द्र सिंह किलाणौत
भारतीय संविधान में पर्यावरण	28	डॉ. रामकरण शर्मा
शांति पाठ और पृथ्वी सम्मेलन	29	भरतराम कुम्हार
परंपरा और संविधान में महिलाओं का सम्मान	29	डॉ. कैलाश चंद गुर्जर
सर्वोच्च न्यायालय: ध्येय वाक्य और धर्म की अवधारणा	31	प्रो. अम्बिका ढाका
नये संसद भवन में अखंड भारत का चित्र	33	पाथेय डेस्क
पुराने संसद भवन में हिंदू प्रभाव	34	पाथेय डेस्क
संविधान निर्माण की प्रक्रिया	35	पाथेय डेस्क
75 वर्ष पूर्ण होने पर संसद में समारोह	36	पाथेय डेस्क

राजस्थान
पधारो म्हारे देस
श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

भारत का संविधान

भारत के संविधान निर्माण का कार्य पं.नेहरू और सरदार पटेल संविधान विधि के ब्रिटिश विद्वान सर विलियम आइवर जेनिंग्स को सौंपने का विचार कर रहे थे। इसका उल्लेख करते हुए 13 अप्रैल, 1991 के हिंदुस्तान टाइम्स, दिल्ली के समाचार पत्र में छपे अपने एक लेख में श्री बीके केलकर बताते हैं कि जब महात्मा गांधी तक यह बात पहुँची तो उन्होंने नेहरू और पटेल दोनों को बुलाकर कहा-''दुनिया क्या कहेगी? भारत में संविधान शास्त्र का कोई विद्वान नहीं है?'' फिर महात्मा गांधी ने डॉ. अंबेडकर की ओर संकेत किया।

संविधान लागू होने के कोई एक-डेढ़ वर्ष में ही संविधान को कमजोर करने का कार्य हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 12 मई, 1951 को संविधान में पहला संशोधन पारित करा लिया। इस संशोधन के माध्यम से संविधान द्वारा प्रदत्त विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया। परिणामत: प्रेस (मीडिया) की स्वतंत्रता भी सीमित हो गई। नागरिकों को संविधान ने किसी भी व्यापार-व्यवसाय को करने का जो अधिकार दिया था उसे कुछ परिस्थितियों में पूर्णत: छीनने का अधिकार राज्य को दे दिया गया। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानून को न्यायालयों द्वारा रद्द किए जाने की व्यवस्था संविधान में है। इसे भी सीमित करते हुए संविधान के अंत में एक नई अनुसूची 9 जोड़कर प्रावधान किया गया कि यदि किसी कानून को इस अनुसूची में डाल दिया जाएगा तो उसे मूल अधिकारों के अतिक्रमण के आधार पर न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

अंग्रेजी सरकार जिन धाराओं का उपयोग स्वतंत्रता सेनानियों को जेलों में डालने के लिए करती थी वे सारी धाराएं इस संशोधन से वापस प्रभावी हो गईं।

डॉ. अंबेडकर ने संविधान सभा के समक्ष दिए अपने अंतिम भाषण में देश को सावधान किया था कि संविधान कितना भी अच्छा हो यदि उसे लागू करने वाले बुरे हुए तो संविधान भी बुरा हो जाता है। उन्होंने लोकतंत्र का स्थान तानाशाही द्वारा लेने की संभावना भी प्रकट की थी। 1975 में उनकी आशंका सच निकली। उस समय प्रतिबद्ध न्यायपालिका, प्रतिबद्ध सरकारी तंत्र और प्रतिबद्ध संविधान की अवधारणा दी गई। इंदिरा गांधी के चुनाव को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा रद्द घोषित कर दिए जाने पर इंदिरा जी ने देश पर आपातकाल थोप दिया था। विपक्ष के सभी नेताओं को बिना अपराध ही जेलों में बंद कर दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे देशभक्त संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया। संविधान में 42वां संशोधन करते हुए संविधान के लगभग दो-तिहाई भाग का पुनर्लेखन कर दिया। न्यायपालिका के अधिकारों को सीमित कर दिया गया।

पाठकों को याद होगा कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने शाहबानो मामले में निर्णय दिया था कि एक मुस्लिम तलाकशुदा महिला को भी सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण पाने का अधिकार है। यह निर्णय समान नागरिक संहिता की ओर एक कदम था तथा संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार ही था। परंतु राजीव गांधी की केन्द्र सरकार ने कानून बना कर उसे पलट दिया।

पिछले वर्षों में कई महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए। 2017 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने तथा 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन हुआ। सबसे महत्वपूर्ण संशोधन 2023 में हुआ जिसके माध्यम से लोकसभा तथा विधानसभाओं में एक तिहाई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया।

संविधान में संशोधन किए बिना ही अनुच्छेद 370 व 35 ए द्वारा जम्मू कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे को हटाने के लिए संसद ने 5 अगस्त 2019 को मंजूरी दी।

भले ही 26 जनवरी, 1950 से संविधान को लागू माना गया हो, संविधान सभा द्वारा इसे 26 नवम्बर, 1949 को स्वीकार कर लिया गया था। इस तिथि को वर्तमान केन्द्र सरकार ने 'संविधान दिवस' घोषित किया है। 26 नवम्बर, 2024 को संविधान निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने पर 'हमारा संविधान-हमारा स्वभिमान' अभियान चलाया जा रहा है।

हिन्दी मासिक विवेक को आज से चार वर्ष पूर्व दिए अपने साक्षात्कार में संघ के सरसंघचालक भागवत जी ने सुझाव दिया था, ''भारत के बच्चों को, जब वे जीवन के प्रारंभिक चरण में होते हैं, तब उनको प्रस्तावना, नागरिक कर्तव्य, नागरिक अधिकार एवं मार्गदर्शक सिद्धांत ठीक से पढ़ाने चाहिए क्योंकि यही धर्म है।''

भारत के संविधान में भले ही कुछ प्रावधान विश्व के कई देशों के संविधानों से प्रेरित दिखाई दें, संविधान में प्रकट हुए विचार और संवैधानिक मूल्य हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और हमारी आकांक्षाओं से प्रेरित हैं। संविधान की प्रस्तावना में भारत के जीवन मूल्य समाहित हैं। यह संयुक्तांक इसी भावना से प्रेरित है। -रामस्वरूप

भारत का संविधान

प्रस्तावना

हम भारत के लोग, भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ–निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की **स्वतंत्रता,**
प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**
प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन **सब में** व्यक्ति की गरिमा और
राष्ट्र की एकता और अखंडता
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

संविधान की प्रस्तावना में प्रतिबिंबित हैं

भारत के जीवन मूल्य और आदर्श

भारतीय संविधान के प्रथम पृष्ठ पर प्रस्तावना (Preamble) जिसे 'उद्देशिका' भी कहा जाता है, दी गई है। यह प्रस्तावना 17 अक्टूबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित की गई थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि तब तक संविधान निर्माण का कार्य लगभग समाप्ति पर पहुँच चुका था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि संविधान के वास्तविक सिद्धांतों को 'प्रस्तावना' में शामिल किया जा सके।

किसी भी संविधान की प्रस्तावना में उस संविधान के मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख रहता है। यह संविधान के उद्देश्यों एवं नीतियों को समझने में सहायक होती है। यह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी भी है। प्रस्तावना से स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान का उद्देश्य आम जनता के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इन सभी का पर्याप्त उल्लेख मिलता है।

संविधान सभा में बोलते हुए सेठ गोविंद दास ने सच ही कहा था कि संविधान की प्रस्तावना में व्यक्त आदर्श भारतीय परंपरा और दर्शन से गहराई से जुड़े हैं। उन्होंने प्रस्तावना को भारत की आत्मा और राष्ट्रीय जीवन का दर्पण बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रस्तावना में जो आदर्श प्रस्तुत किए गए हैं, वे केवल आधुनिक पश्चिमी विचारधारा से नहीं आए हैं, बल्कि वे भारतीय साहित्य, वेद, उपनिषद् और गीता जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी मौजूद रहे हैं। वस्तुत: प्रस्तावना भारतीय परंपरा, सांस्कृतिक विरासत और सभ्यता के आदर्शों का प्रतिबिंब ही है।

प्रस्तावना के संबंध में संविधान सभा में बोलते हुए आचार्य जे बी कृपलानी जी ने कहा था, ''प्रस्तावना केवल संविधान का परिचय नहीं है, बल्कि यह हमारे राष्ट्रीय आदर्शों और आकांक्षाओं का सार है। यह स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्थापित उन मूलभूत सिद्धांतों को व्यक्त करती है, जिनके लिए हमने संघर्ष किया।''

उन्होंने आगे कहा,'' प्रस्तावना न केवल एक कानूनी दस्तावेज है, बल्कि यह नैतिक और सामाजिक मूल्यों का मार्गदर्शन करती है। नैतिक और सामाजिक मूल्य निश्चित रूप से भारतीय ही हैं।

उपनिषदों में 'सर्व खल्विंद ब्रह्म' (सभी ब्रह्म हैं) का सिद्धांत सभी में एक ही आत्मा की उपस्थिति को दर्शाता है जो बंधुत्व की भावना को सुदृढ़ करता है।

जहां बौद्ध और जैन ग्रंथों में अहिंसा, करुणा और मैत्री के माध्यम से सभी के प्रति बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित किया गया है वहीं तमिल के 'संगम साहित्य' में भी मानवता, प्रेम और भ्रातृत्व की भावना को प्रमुखता दी गई है।

पुराने संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष के द्वार पर महोपनिषद् से लिया गया सुभाषित लिखा गया 'अयं निज: परोवेतिगणना लघुचेतसाम्, उदारचरितानां तु, वसुधैव कुटुम्बकम्' अर्थात् यह मेरा है, यह पराया है, यह संकीर्ण हृदय वाले सोचते हैं, उदार चरित वाले पूरे संसार को एक ही परिवार मानते हैं। संभवत: बंधुत्व का ऐसा आदर्श विश्व में भारतीय संस्कृति व भारतीय चिंतन में ही देखने को मिलेगा। *(पाथेय डेस्क)*

संविधान की मूल प्रति में दिया गया चित्र

रावण पर विजय के पश्चात् लक्ष्मण तथा सीता सहित पुष्पक विमान से लौटते हुए प्रभु राम

बाबा साहब अंबेडकर और 'बंधुत्व'

21 फरवरी, 1948 को प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉ. अंबेडकर ने संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रारूप समिति ने प्रस्तावना में बंधुत्व' शब्द जोड़ा है, हालांकि यह 'उद्देश्य प्रस्ताव' में नहीं है। 25 नवम्बर, 1949 को संविधान सभा के अपने प्रसिद्ध भाषण में भी उन्होंने कहा कि ***'बंधुत्व के बिना समानता और स्वतंत्रता की जड़ें अधिक गहरी नहीं होंगी।'***

जिस 'बंधुत्व' पर बाबा साहब इतना जोर दे रहे थे, वह भारतीय चिंतन में हमेशा ही प्रमुखता से रहा है। बाबा साहब भारतीय दृष्टि को ही आगे बढ़ाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। वेदों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों में यह 'बंधुत्व' की भावना बार-बार प्रकट होती रही है।

संविधान में भारतीय संस्कृति के तत्व

संविधान में शामिल तत्वों को लेकर मुख्यत: दो प्रकार के दृष्टिकोण पाए जाते है। कुछ लोगों का मानना है कि भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंध विदेशी संविधानों से लिए गए हैं तथा इसमें मूल भारतीय विचारों का समावेश नहीं हैं। दूसरी ओर भारत का वह प्रबुद्ध वर्ग है जिनका मानना है कि हमारे संविधान में शामिल तत्व और मूल्य हमारे अपने हैं, जो संविधान सभा में विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात् हमारी राष्ट्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शामिल किये गए हैं। इसके प्रावधानों में भारतीय संस्कृति और हिन्दू दर्शन स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इनको देखने के लिए सिर्फ दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है।

"स्व" का सम्मान

भारतीय संस्कृति तथा हिन्दू दर्शन सदैव अपने मूल आदर्शों का सम्मान करने की शिक्षा देते हैं। भारतीय ग्रंथों में "स्व" का वर्णन विस्तृत आयामों जैसे धर्म, कर्तव्य, पहचान, आत्मज्ञान, स्वभाव और स्वाध्याय के रूप में मिलता है। शांति पर्व (महाभारत 12.19.47) में "स्वधर्मेणैव शांतिर्हि लोके स्वेनैव पुष्टता" के रूप में "स्व" धर्म के पालन से संसार में शांति और समृद्धि प्राप्त होने का वर्णन है। तैतरीय उपनिषद (1.11.1) में "सत्यं वद, धर्मं चर, स्वाध्यायान्मता प्रमद:।" में स्व का उल्लेख स्वयं के अध्ययन के सन्दर्भ में है। श्रीमद्भगवद्गीता के अध्याय 3 श्लोक 35 "स्वधर्मे निधनं श्रेय: परधर्मो भयावह:।" में स्व पर गर्व करना और इसको श्रेष्ठतम बताया गया है। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद के नासदीय सूक्त (10.129.4) में "स द्वेधा अभवत्स्वधया तदेकं।" श्लोक सृष्टि की उत्पत्ति के सन्दर्भ में है जहां ब्रह्मांड का आधार स्व की भावना को बताया गया है। इनके प्रकाश में जब भारतीय संविधान को देखते है तो संविधान का अनुच्छेद 51ए (एफ) अपनी समृद्ध विरासत और गौरवशाली परम्पराओं के सम्मान और संरक्षण की बात करता है।

अनुच्छेद 48 पारम्परिक कृषि पद्धति और पशुधन की नस्लों और गायों को संरक्षित करने की बात करता है जो भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अनुच्छेद 350ए छात्र को स्वभाषा अर्थात् मातृभाषा में शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है जो सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण में सहायक है। अनुच्छेद 244 भारत की मूल जनजाति संस्कृति और परम्पराओं के संरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 343-351 भारत की स्व भाषाओं और लिपियों के संरक्षण और विकास का प्रावधान करता है। इसके अतिरिक्त भी संविधान प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारों ने कई कानून भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए बनाये हैं।

वसुधैव कुटुम्बकम्

"अयं निज: परोवेति गणना लघुचेतसाम्। उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्॥" महोपनिषद् का यह श्लोक भारतीय संस्कृति और हिन्दू धर्म की मूल विचारधारा को दर्शाता है जिसके अनुसार पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है और हम अपना-पराया जैसे तुच्छ विचारों में विश्वास नहीं करते हैं। हिन्दू धर्म और भारतीय संस्कृति ने सदा अपने से भिन्न संस्कृतियों और मान्यताओं को अपने यहां शरण दी है, भले ही कालांतर में उन्होंने हमारी ही संस्कृति को दूषित और नष्ट करने का प्रयास किया हो। वसुधैव कुटुम्बकम् के विचार को हमारे संविधान में भी स्वीकार किया गया है। अनुच्छेद 5-11 विदेशी लोगों के लिए भी भारत की नागरिकता प्राप्त करने हेतु प्रावधान करता

राम मनोहर शर्मा

भारतीय संविधान "सर्वे भवन्तु सुखिन:" और "धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष" जैसे वैदिक दर्शन के तत्वों को समाहित करते हुए लिखा गया है। यह भारतीय संस्कृति की प्राचीनता और आधुनिक परंपराओं के मध्य सामंजस्य रखते हुए दोनों को समान रूप से संरक्षण प्रदान करता है।

संविधान की मूल प्रति में दिया गया चित्र

प्राचीन विश्वविद्यालय (नालंदा) का दृश्य तथा विश्वविद्यालय की मुहर

संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर करते हुए वल्लभ भाई पटेल व अन्य सदस्य (24 जनवरी, 1950)

संविधान को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

है। अनुच्छेद 51 विश्व शान्ति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है क्योंकि हम विश्व को एक परिवार मानते हैं, इसलिए हमारे संविधान ने उसको व्यावहारिक रूप भी प्रदान किया है। अनुच्छेद 51(ज) अंतरराष्ट्रीय सहयोग और संबंधों के प्रति उत्तरदायित्व का बोध कराता है । उत्तरदायित्व का बोध कुटुंब प्रबोधन का अहम हिस्सा है जिसको हमारी संविधान सभा ने सन् 1950 में ही अंगीकार कर लिया था। अनुच्छेद 14 राष्ट्र के नागरिकों को परिवार के सदस्यों की भांति समानता का अधिकार प्रदान करता है और किसी प्रकार के भेदभाव से उनकी रक्षा करता है।

सर्वधर्म समभाव

हिन्दू धर्म ने अपने ज्ञान और चेतना के बल से विश्व को आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया है तथा हिंदुत्व के कारण ही भारत आज तक अपनी विशिष्ट पहचान को बनाये हुए है। ऋग्वेद की ''आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः'' ऋचा खंड में सर्वधर्म समभाव का तात्विक विचार व्यक्त किया गया है। वहीं ईशावास्य उपनिषद का मंत्र ''ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः'' में सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को ईश्वर का रूप बताया गया है और प्रत्येक व्यक्ति को उसी ब्रह्म के रूप में एकजुट किया गया है। भारतीय संस्कृति के मार्गदर्शक ग्रंथ गीता में भी भगवान श्रीकृष्ण ''सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज'' कहकर सभी धर्मों को एकरूप करने की शिक्षा देते है।

संविधान की मूल प्रति में दिया गया चित्र

शिवाजी और गुरु गोविन्द सिंह जी का चित्र

महाभारत के शांति पर्व में यथा 'सर्वे परम् ब्रह्म, तस्मिन् धर्मेण सर्व।' से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय संस्कृति 'धर्म पालन' पर विश्वास करती है न कि किसी 'विशेष धर्म पालन' पर। यहाँ माना गया है कि स्वधर्म पालन द्वारा ही सभी धर्मों का सम्मान और पालन संभव है। भारतीय हिन्दू दर्शन के इन्हीं आदर्शों का समावेश हमारे संविधान में किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 भारत के सभी नागरिकों को अन्तःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता देता है। विश्व के अनेक धार्मिक कट्टरपंथी राष्ट्रों के विपरीत भारत का कोई घोषित राष्ट्रीय धर्म नहीं है, संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को नकारता है।

भारत का संविधान अल्पाधिक मात्रा में भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व के सिद्धांतों का प्रतिबिम्ब है। संविधान प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारों ने भी समय-समय पर कई कानून बनाकर धार्मिक समावेशन का कार्य किया है, हालांकि कई स्थानों पर इसका नकारात्मक प्रभाव भारतीय संस्कृति और हिन्दुओं पर ही देखने को मिल रहा है। संविधान सभा में संवैधानिक प्रावधानों को लेकर भारतीय धर्म, संस्कृति और परम्पराओं पर व्यापक बहस हुई थी, जिसका परिणाम हमें भारतीय मूल्यों से युक्त संविधान के रूप में प्राप्त हुआ है। भारत का संविधान विश्व के कई धार्मिक कट्टर देशों की तरह कठोर नहीं है, अपितु यह हिंदू धर्म की भांति प्रगतिशील और समय के साथ स्वयं को परिष्कृत करने वाला है। संविधान की इसी विशेषता का परिणाम है कि हमारे गणतंत्र के 75 वर्षों के इतिहास में संविधान में 106 संशोधन हो चुके हैं। इसलिए, संविधान को कैंची और गोंद का कमाल, कॉपी पेस्ट संविधान, 1935 के अधिनियम की फोटो कॉपी कहने वालों को पुनः विचार करने की आवश्यकता है और अब समय भारतीय संविधान में विदेशी तत्वों के स्थान पर ''विदेशी संविधानों में भारतीयता के तत्वों'' को देखने का है।

(लेखक परिष्कार कॉलेज, जयपुर में रिसर्च स्कॉलर हैं)

संविधान पर विहंगम दृष्टि

देश में किस प्रकार की सरकार होगी, उसका गठन कैसे होगा, नागरिकों के क्या अधिकार होंगे, न्यायपालिका का गठन कैसे होगा आदि विषय संविधान में दिए रहते हैं।

भारत का संविधान स्पष्ट करता है कि केन्द्र और राज्यों में संसदीय प्रणाली की सरकार का गठन किया जाएगा। सभी वयस्क नागरिकों को चाहे वे किसी भी भाषा, प्रांत, जाति, मूलवंश, पंथ (रिलीजन) के क्यों न हों, उन्हें मताधिकार होगा। भारत के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री तथा राज्यों के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्रियों के कार्यों और उनके अधिकार क्षेत्र का उल्लेख संविधान में किया गया है। केन्द्र व राज्यों के अधिकार व क्षेत्राधिकार का बंटवारा भी संविधान में है।

भारत का संविधान स्पष्ट करता है कि यह देश प्रजातांत्रिक गणराज्य होगा। संविधान की प्रस्तावना में संविधान का उद्देश्य स्पष्ट किया गया है। सभी लोगों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता प्रदान करना तथा सब में ऐसा बंधुत्व निर्माण करना जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे।

सभी नागरिकों को पंथ (रिलीजन) और उपासना की स्वतंत्रता रहे, उन्हें आगे बढ़ने के लिए समान अवसर उपलब्ध हों, अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता रहे-यह भी संविधान के उद्देश्यों में शामिल है।

इन उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप देने के लिए संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है तथा राज्य (यानी सरकार, प्रशासन-पुलिस आदि) पर अंकुश लगाया गया है कि वे किसी के भी इन मौलिक अधिकारों को न तो छीनेंगे और न ही कम करेंगे। परंतु देश-समाज के हित में इन मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाए जाने की बात भी की गई है।

इस देश का क्षेत्र विस्तार तथा राज्यों के क्षेत्र का उल्लेख संविधान में किया गया है। देश के नागरिक कौन माने जायेंगे तथा कोई अन्य व्यक्ति नागरिक कैसे बन सकता है, कब नागरिकता समाप्त हो जायेगी, इनका उल्लेख संविधान में तथा संविधान के प्रावधानों के अनुसार निर्मित विधियों में मिलता है।

सब में समानता लाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा 'अस्पृश्यता' को समाप्त किये जाने की घोषणा की गई तथा इसे दण्डनीय अपराध घोषित किया गया। राज्य के द्वारा किसी भी नागरिक के साथ पंथ (रिलीजन) मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। परंतु समाज के कमजोर वर्गों यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण सहित विशेष प्रावधान करने की बात भी संविधान में है ताकि प्रगति की दौड़ में ये वर्ग भी शामिल हो सकें। इसी तरह महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान करने की छूट संविधान देता है। सभी नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने, देश में कहीं भी आने-जाने, कोई भी सभा-संगठन करने, किसी भी पंथ (रिलीजन) को अपनाने, उसके अनुसार व्यवहार करने आदि की स्वतंत्रता मौलिक अधिकारों में घोषित की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि व्यक्ति का बहुमुखी विकास करने के लिए और एक गरिमामय जीवन जीने के लिए जो भी अधिकार या सुविधाएं चाहिए, उन सब की गारंटी इन मौलिक अधिकारों में शामिल मानी जायेगी। अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबन्ध करने का जो विशेष अधिकार संविधान में दिया गया है, वह भारत के सभी पंथो, वर्गों को दिया जाए-ऐसा मत सामने आता रहा है।

समाज की उन्नति के लिए नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख संविधान में है। लोगों के सामूहिक कल्याण की दृष्टि से सभी को शिक्षा, रोजगार या आजीविका के साधन उपलब्ध हों, बच्चों का ठीक से लालन-पालन, मजदूरों को उचित काम की दशा एवं दर, लोगों के जीवन स्तर में सुधार, चिकित्सा की व्यवस्था, अच्छा पर्यावरण, नशाबंदी, गौहत्या बंदी, सबके लिए समान नागरिक संहिता, महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना आदि अनेक नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है।

प्राचीन भारत में पंचायत व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। गांव-देहात व नगरों के लोग स्वयं ही विकास संबंधी निर्णय लें, इस हेतु गांव-नगरों में पंचायत, नगरपालिका और सहकारी समितियों के लिए संविधान के 73 एवं 74वें संशोधनों द्वारा व्यवस्था की गई। भाग 51ए में नागरिकों के कर्त्तव्यों का उल्लेख है। निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, विभिन्न न्यायालय- अधिकरण (ट्रिब्युनल), अन्य आयोगों आदि के गठन के प्रावधान संविधान में किए गए हैं।

देश पर संकट के समय तथा युद्ध की स्थिति में आपात प्रबन्ध करने होते हैं। भारत के संविधान में एक पूरा अध्याय इस संबंध में है। संविधान का अनुच्छेद 343 हिंदी को संघ (केन्द्र) की राजभाषा घोषित करता है। संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया है। संविधान की आठवीं अनुसूची में देश की 22 भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। वस्तुतः ये सभी भाषाएं इस देश की राष्ट्र भाषाएं हैं।

संविधान को समय की आवश्यकताओं के अनुरूप बदला जा सके, इसके लिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी दी गई है। अब तक 106 संशोधन किए जा चुके हैं।

भारतीय संविधान के उद्देश्य या सिद्धांत प्राचीन भारतीय परंपरा और मूल्यों के अनुकूल ही हैं। प्रजातांत्रिक मूल्यों और गणतांत्रिक व्यवस्था की अवधारणा भारत में रही है। ■ (रामस्वरूप)

भारतीय संविधान का मूलाधार है - सर्वपंथ समभाव

भारतीय संविधान और भारतीय चिंतन परंपरा एक दूसरे के पूरक हैं। संविधान सर्वपंथ समभाव को कानूनी एवं संस्थागत आधार तथा भारतीय चिंतन इसे नैतिक एवं आध्यात्मिक आधार प्रदान करता है। भारतीय संविधान में अन्तर्निहित सर्वपंथ समभाव भारतीय चिंतन एवं दर्शन से प्रेरित है। भारतीय चिंतन परंपरा धर्म, सत्य, अहिंसा, न्याय, समानता, सह अस्तित्व जैसे मूल्यों पर आधारित है।

प्रो. सुरेश अग्रवाल

सर्वपंथ समभाव भारत की प्राचीन परंपराओं का अभिन्न अंग है। भारत का संविधान यह सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी धर्म विशेष का समर्थन नहीं करेगा और सभी धर्मों को समान अवसर प्रदान करेगा। भारतीय चिंतन में धर्मनिरपेक्षता सकारात्मक है जबकि पश्चिम मॉडल राज्य और धर्म के पृथक्करण पर आधारित है।

प्रस्तावना में सर्वपंथ समभाव

भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जो भारतीय गणराज्य के मूल आदर्श को स्थापित करती है, में प्रयुक्त शब्द, 'पंथनिरपेक्षता' 'समानता' 'स्वतंत्रता' और 'सामाजिक न्याय' सर्वपंथ समभाव के सिद्धांत से प्रेरित हैं। प्रस्तावना में प्रयुक्त वाक्यांश 'विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म उपासना की स्वतंत्रता' की पुष्टि करता है, जो सर्वपंथ समभाव के भारतीय दर्शन के अनुरूप है। भारतीय वांग्मय समानता, सहिष्णुता और सभी धर्मों के प्रति आदर भाव को रेखांकित करता है- **''न धर्मो विविधः कश्चित समत्वं धर्म लक्षणम् । समः सर्वेषु भूतेषु धर्मो हि परमः स्मृतः।।''**

अर्थात् धर्म विविध रूपों में प्रकट होता है परंतु उसका मूल लक्षण समानता है। सभी प्राणियों के प्रति समान दृष्टि रखना ही परम धर्म है। धर्म जाति या रूप से परिभाषित नहीं होता है। जहां प्रेम प्रकट होता है वहां सभी मत-पंथ समान हो जाते हैं- ***न जात्या भेदकः धर्मो न रुपे न च वर्तने। सर्वे धर्माः समं लोके यत्र प्रेम प्रभासते ।।***

अनुच्छेद 25

धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान भारतीय चिंतन के ''आत्मानं विद्धि''(स्वयं को जाने)के सिद्धांत के अनुरूप ही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के पालन, आचरण एवं प्रचार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह गीता के ''स्वधर्मे निधनं श्रेयः'' के विचार को प्रतिबिंबित करता है।

अनुच्छेद 44 (समान नागरिक संहिता)

समानता का मौलिक अधिकार ''सर्वेपि सुखिन संतु'' (सब सुखी हों) एवं ''न जाति धर्म कुले दृष्टि'' के विचार की ही अभिव्यक्ति है। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन 'मानव मानव एक समान' के आदर्श का समर्थन करता है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से सम्बद्ध है। समान नागरिक संहिता भारतीय दर्शन के आदर्श 'समग्रता' को लागू करने की दिशा में कदम है। यह धर्म जाति और लिंग के भेदभाव को समाप्त कर सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है।

भारतीय चिंतन में कर्तव्य परायणता का महत्वपूर्ण स्थान है। संविधान के अनुच्छेद 51 ए में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है जिसमें धार्मिक एवं सांस्कृतिक सौहार्द बनाए रखने पर बल दिया गया है।

मूलभूत ढांचा सर्वपंथ समभाव की ही अभिव्यक्ति

भारतीय चिंतन ''वसुधैव कुटुंबकम्'' (संपूर्ण विश्व एक परिवार है) एवं ''एको सद्विप्रा बहुधा वदंति'' (सत्य एक है जिसे विद्वान विभिन्न रूप में व्यक्त करते हैं) के उच्च आदर्शों पर आधारित भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा यह सुनिश्चित करता है कि धर्म केवल आस्था का विषय नहीं रहकर मानवता के कल्याण और सामूहिक सह अस्तित्व का माध्यम है। भारतीय दर्शन सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता एवं समान आदर प्रदान करने का संदेश देता है। ''सर्वं खल्विदं ब्रह्म''(सभी कुछ ब्रह्म है) एवं ''तत्वमसि'' (तू वही है) के सिद्धांतों पर आधारित मानव समानता एवं एकता का

संविधान की मूल प्रति में दिया गया चित्र

श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश

दर्शन प्रस्तुत करता है। यह आदर्श सभी प्रकार के भेद को मिटाकर मानव एकत्व का बोध कराता है। महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है, ''धर्म ही मानवता का आधार है।'' श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं 'मैं हर धर्म के अनुयायियों में विद्यमान हूं। सभी मुझे अपने-अपने मार्ग से प्राप्त करते हैं।'

अनुच्छेद 25 (2) सामाजिक सुधार

भारतीय चिंतन में धर्म को स्थिर नहीं अपितु प्रगतिशील माना गया है । संविधान के प्रावधान धार्मिक स्वतंत्रता के साथ-साथ सामाजिक सुधार को भी प्राथमिकता प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 25 (2) सामाजिक सुधार और धार्मिक प्रथाओं के विनिमयन के लिए राज्य को अधिकृत करता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि धर्म के नाम पर कोई भी प्रथा जो मानव अधिकारों का उल्लंघन करती हो जारी न रहे। उदाहरणार्थ-बाल विवाह, बहु विवाह एवं अस्पृश्यता जैसी कुप्रथाओं का राज्य द्वारा उन्मूलन किया गया है। यह दृष्टिकोण भारतीय समाज के प्रगतिशील विकास को प्रतिबिंबित करता है।

भारतीय संविधान में वर्णित धार्मिक स्वतंत्रता और सद्भाव संतुलन का अद्वितीय दृष्टिकोण न केवल व्यक्तिगत एवं सामूहिक धार्मिक अधिकारों की रक्षा करता है, अपितु यह सुनिश्चित भी करता है कि ये अधिकार समाज की स्थिरता एवं एकता को खतरे में ना डालें। यह संतुलन भारतीय चिंतन के उस आदर्श का प्राकट्यीकरण है जहां धर्म व्यक्तिगत मुक्ति का साधन होने के साथ-साथ सामाजिक कल्याण का भी माध्यम है।

भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता नहीं, अपितु पंथनिरपेक्षता का प्रावधान किया गया है। यह पंथनिरपेक्षता सभी धर्मों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को प्रोत्साहित करती है। यह सुनिश्चित करती है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा किंतु वह सभी धर्मो को समान रूप से मान्यता एवं सम्मान प्रदान करेगा।

भगवद्गीता में कहा गया है **''ये यथा मां प्रपद्यंते तांस्तथैव भजाम्यहम्''** अर्थात् जो मुझे जिस रूप में भजता है, मैं उसी रूप में उसे स्वीकार करता हूं। यही कारण है कि भारत में विभिन्न समुदाय - हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी और पारसी सामान्यतया शांति और सहिष्णुता के साथ सह अस्तित्व में रह रहे हैं। भारतीय दर्शन धर्म का उद्देश्य 'सेवा परमो धर्म:' मानता है। इस दृष्टिकोण को संविधान के माध्यम से लागू करना हमारे देश की सबसे बड़ी उपलब्धि है।

भारतीय चिंतन में धर्म जीवन की नैतिक एवं न्याय पूर्ण दिशा है -'धर्मो रक्षति रक्षित:' अर्थात् जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। संविधान का मौलिक ढांचा भी न्याय, समानता और स्वतंत्रता जैसे मूल्यों को संरक्षित करता है। इसका अभिप्राय है कि न्याय और धर्म मानव जीवन के लिए अपरिहार्य हैं।

(लेखक गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर में भाषा साहित्य एवं संस्कृति संकाय के तुलनात्मक साहित्य एवं अनुवाद अध्ययन विभाग में वरिष्ठ आचार्य हैं)

संविधान हमारे लोगों ने बनाया है

पं.दीनदयाल उपाध्याय

''वर्ष 1950 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजनीति में नहीं थे। वे संविधान सभा से बाहर थे। लेकिन एक जागरूक नागरिक के रूप में, प्रबुद्ध नागरिक के रूप में संविधान की संरचना पर उनकी पैनी नजर थी। उन्होंने एक सलाह दी। संविधान से संबंधित उनके पांच लेख हैं। अपने पांचवें लेख में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि जो संविधान बन गया है, उसमें आप ध्यान रखिए कि उस संविधान को हमारे लोगों ने बनाया।

संविधान के संरक्षण का इससे बड़ा वक्तव्य अभी तक नहीं है। क्योंकि उन परिस्थतियों में जयप्रकाश नारायण, मानवेंद्रनाथ राय, पूरी सोशलिस्ट पार्टी के नेता, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और कांग्रेस के अंदर भी बहुत बड़े लोग कमलापति त्रिपाठी, जो संविधान सभा में थे, डॉक्टर रघुवीर, ये सभी लोग संविधान पर प्रश्नचिह्न खड़ा कर रहे थे। संविधान सभा के अंदर और संविधान सभा के बाहर। संविधान सभा के बाहर जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेन्द्र देव थे।

उस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि एक बात ध्यान रखो कि यह संविधान हमारे लोगों ने बनाया है। अब इस एक वाक्य का अर्थ यह होता है कि इस पूरी बहस को वे दूसरी दिशा दे देते हैं क्योंकि सबसे बड़ा आरोप था कि ये संविधान औपनिवेशिकता की निरंतरता में है। 1935 में जो संविधान बना था, उस संविधान की निरंतरता में है। ये तो संविधान को नकारने की बात थी। दीनदयाल जी कहते हैं कि नहीं, इस संविधान को स्वीकार कीजिए क्योंकि ये हमारे लोगों ने बनाया है। हां, इसको परिष्कृत करिए। जहां जरूरत पड़े उसको समुन्नत कीजिए। लेकिन इसको स्वीकार कीजिए। इस भारतवर्ष देश में जो पहला व्यक्ति है, जिसको संविधान से कोई लेना-देना नहीं है, वह यह कह रहा है कि संविधान को स्वीकार कीजिए।''

(वरिष्ठ पत्रकार श्री रामबहादुर राय की टिप्पणी, पांचजन्य.कॉम, 28 नवम्बर, 2022 से साभार)

संविधान की आत्मा है भारतीय

डॉ. सुरेन्द्र कुमार जाखड़

संविधान सभा के गठन से लेकर संविधान निर्माण और उसको लागू करने की प्रक्रिया को रेखांकित करते हुए लेखक ने संविधान की मूल प्रति में शामिल किए गए चित्रों की चर्चा की है जो भारतीय इतिहास, परंपरा और संस्कृति को मूर्तरूप देते दिखाई देते हैं। लेख में संविधान के प्रथम संशोधन और मूल ढांचे के सिद्धांत पर भी अपने विचार प्रकट किए हैं।

भारतीय संविधान के संपूर्ण प्रावधानों के अवलोकन के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान होने के साथ-साथ, इसकी आत्मा भारतीय संस्कृति, सभ्यता एवं जनमानस के अनुरूप है। 26 नवम्बर, 1949 (मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् 2006 विक्रमी) को संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया।

संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे। 29 अगस्त, 1947 को भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक प्रारूप समिति बनाई गई। इसके अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर थे। दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन करने के बाद तथा संविधान सभा की 166 बैठकों में सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श किए जाने के पश्चात् प्रारूप समिति ने डॉ. अंबेडकर के नेतृत्व में भारतीय संविधान का अंतिम प्रारूप तैयार किया। 26 नवम्बर,1949 को संविधान सभा ने इसे अपना लिया। इसी कारण 2015 से हर साल 26 नवम्बर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।

संविधान सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी, 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद 26 जनवरी को इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया, जिसमें एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं।

मूल प्रति है हस्तलिखित

भारतीय संविधान की मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही हस्तलिखित है। इसमें टाइपिंग या प्रिंट का इस्तेमाल नहीं किया गया। दोनों ही भाषाओं में संविधान की मूल प्रति को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा। रायजादा का पुश्तैनी व्यवसाय कैलीग्राफी का था। उन्होंने संविधान के हर पेज को बेहद खूबसूरत इटैलिक लिखावट में लिखा। 251 पन्नों का संविधान लिखने में उन्हें 6 महीने लगे।

सजाया गया था चित्रों से

भारतीय संविधान के हर पेज को चित्रों से सुविख्यात चित्रकार आचार्य नंदलाल बोस ने सजाया। मूल संविधान में नंदलाल बोस द्वारा बनाए गए 22 चित्र हैं। संवैधानिक प्रावधानों एवं चित्र के अवलोकन के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान की आत्मा भारतीय है। प्रस्तावना पेज को सजाने का काम राममनोहर सिन्हा ने किया। वे नंदलाल बोस के ही शिष्य थे। इन चित्रों की शुरुआत अशोक की लाट से होती है जिसमें मुण्डकोपनिषद् का वाक्य 'सत्यमेव जयते' लिखा हुआ है।

संविधान के सभी भागों के आरंभ में भारतीय सभ्यता-संस्कृति और इतिहास को प्रकट करने वाले चित्रों से सजाया गया है। राज्यों सहित संविधान के भाग-1 में जो भारत के राज्यों सहित क्षेत्र विस्तार की जानकारी देता है, के आरंभ में सिंधु घाटी सभ्यता की मुहर (जेबू बैल) का चित्र है। भाग 2 में जहां वैदिक गुरुकुल आश्रम में शिक्षा लेते बच्चों का चित्र है तो भाग 3 में लंका पर प्रभु श्रीराम की विजय के पश्चात् पुष्पक विमान से अयोध्या लौटते श्रीराम,

संविधान की मूल प्रति में दिया गया चित्र

वैदिक आश्रम (गुरुकुल) का दृश्य

कुछ प्रावधान 26 नवम्बर, 1949 से ही लागू हो गए

26 नवम्बर,1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान के कुछ प्रावधानों को तत्काल प्रभाव से लागू किया, जिनमें नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, राष्ट्रपति की शपथ का अनुच्छेद 60, निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद 324, परिभाषा खंड जिसमें 30 परिभाषाएं दी गई हैं अनुच्छेद 366, निर्वचन से संबंधित अनुच्छेद 367, अनुच्छेद 379, 380, 388, 391 (जिन्हें बाद में सातवें संविधान संशोधन अधिनियम,1956 द्वारा हटा दिया गया), कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद 392, संविधान का नाम 'भारत का संविधान' से संबंधित अनुच्छेद 393 तथा अनुच्छेद 394। इन 16 अनुच्छेदों को 26 नवम्बर,1949 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया तथा भारतीय संविधान के शेष सभी उपबंध 2 महीने बाद 26 जनवरी, 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिए गए।

सीता एवं लक्ष्मण जी का चित्र है। अन्य चित्रों में गीता का उपदेश देते भगवान श्रीकृष्ण, महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर भगवान महावीर, बौद्ध धर्म का प्रसार करते सम्राट अशोक, राजा विक्रमादित्य, नालंदा विश्वविद्यालय, कुबेर, अश्वमेघ यज्ञ का अश्व, नटराज के रूप में भगवान शिव, तपस्या करते भागीरथ एवं गंगा का अवतरण, छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह, झांसी की रानी, लक्ष्मीबाई, दांडी मार्च करते गांधीजी तथा आजाद हिंद फौज के झंडे को सैल्यूट करते नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र दिए गए हैं। अकबर के दरबार तथा मैसूर के टीपू सुल्तान का चित्र भी है। हिमालय, थार के रेगिस्तान तथा समुद्र की ऊँची लहरों को मात देते भारतीय जहाज को भी संविधान में दर्शाया गया है।

संविधान के मुख पृष्ठ पर सुनहरे रंग से बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। उसी प्रकार अंतिम पृष्ठ पर भी सुनहरे रंग का पुष्प हार बना है, जो स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों को समर्पित किया गया है श्रद्धांजलि स्वरूप। हमारी संविधान सभा में संविधान के हर प्रावधान पर भारतीय जनमानस, संस्कृति और सभ्यता के अनुरूप पर्याप्त वाद विवाद के पश्चात् 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में यह संविधान बनकर तैयार हुआ। जिसकी आत्मा पूरी तरह से भारतीय है।

26 नवम्बर,1949 संविधान को अपनाए जाने के पश्चात् संविधान सभा को भंग कर दिया गया था मगर आम चुनाव होने तक यानी 17 अप्रैल, 1952 तक इस संविधान सभा को ही अंतरिम संसद के रूप में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई थी।

एक वर्ष में ही संविधान में संशोधन

संविधान सभा के उन्हीं सदस्यों ने ही 1951 में प्रथम संविधान संशोधन करके संविधान में नौवीं अनुसूची को जोड़ा, जिसमें शामिल कानूनों को न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे से बाहर किया गया। इसलिए भारतीय संविधान के आलोचक कहते हैं कि जिस संविधान सभा ने भारत के लोगों को अधिकार दिए थे, उन्होंने नौवीं अनुसूची को जोड़कर उन अधिकारों को वापस छीनने का प्रयास किया है।

मूल ढांचे की लक्ष्मण रेखा

भूमि सुधार कानूनों का निर्माण किया गया। तब संपत्ति का अधिकार, मूल अधिकार होने के कारण न्यायपालिका में मामलों का अंबार लग गया। (ए. के. गोपालन, शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, प्रिवीपर्स केस इत्यादि) केशवानंद भारती वाद में 24 अप्रैल, 1973 को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति हंसराज खन्ना ने 7:6 के बहुमत से निर्णय सुनाते हुए संविधान संशोधन के बारे में एक लक्ष्मण रेखा मूल ढांचे के नाम से तय कर दी। मूल ढांचे के अंतर्गत संविधान की सर्वोच्चता, विधि का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, शक्तियों का पृथक्करण, संसदीय सरकार, निष्पक्ष चुनाव, कल्याणकारी राज्य इत्यादि आते हैं।

मूल कर्तव्य

अनुच्छेद 51-क के रूप में एक नया भाग-4-क मूल कर्तव्यों के रूप में संविधान में जोड़ा गया। मूल रूप से दस मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया था, बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा ग्यारहवां मूल कर्तव्य भी जोड़ दिया गया।

संपत्ति के अधिकार को बनाया गया संवैधानिक अधिकार

आपातकाल के पश्चात् 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाकर इसे संवैधानिक अधिकार में बदल दिया गया। जो अब अनुच्छेद 300 क के रूप में है। संपत्ति को लेकर न्यायालिका में बढ़ते मामलों को रोकने के लिए 44वां संशोधन किया गया। संविधान में अब तक 105 संशोधन हुए हैं।

भारत के संविधान को स्वीकार किए हुए आज हमें 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। यह अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों में सार्थक सिद्ध हुआ है। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हम भारत के लोगों को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम हमारे संविधान प्रदत्त अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों के प्रति भी जागरुक रहेंगे तथा अन्य सभी को भी जागरूक करेंगे, तभी संविधान और अधिक सार्थक सिद्ध हो पाएगा।

(लेखक 'युवान विधि संस्थान', जयपुर के निदेशक हैं)

डॉ. मोहनलाल साहु

प्राचीन भारत में संवैधानिक व्यवस्था तथा भारत का संविधान

प्राचीन भारत में न केवल समृद्ध एवं सफल 'गणतंत्रों' का उल्लेख मिलता है, वरन आज की ही तरह उच्च सदन व निम्न सदन की व्यवस्था भी थी। शासक निर्वाचित होता था। गुप्त मतदान की प्रक्रिया तथा श्रेष्ठ न्याय व्यवस्था थी। इन्हीं सब तथ्यों को रेखांकित करता यह आलेख

जहां तक संवैधानिक व्यवस्था का प्रश्न है भारत अति प्राचीन काल से ही इस दृष्टि से समृद्ध रहा है। प्राचीन काल में संवैधानिक संस्थाओं, प्रजातंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक एवं संवैधानिक व्यवस्थाओं का उल्लेख किसी न किसी रूप में हजारों वर्ष पूर्व हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है।

राजा का निर्वाचन

हड़प्पा व वैदिक काल से ही भारत में हमें एक सुव्यवस्थित संवैधानिक व्यवस्था के प्रमाण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। देश या राज्य को राष्ट्र कहा जाता था, जिसका मुखिया राजा होता था। ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि राजवंश से भी चुनकर राजा बनाया जाता था। अथर्ववेद में राजा के लिए उल्लेख है कि ''प्रजा तुम्हें राज्य के लिए वरण करती है।'' वंशानुगत राज्याधिकार जनता के अनुमोदन पर निर्भर था।

लोक कल्याणकारी निदेशक तत्व

भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों का लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप हमें उस समय भी दिखाई देता है। राजा को राज्याभिषेक के समय प्रजा हित की शपथ लेनी होती थी। राज्याभिषेक के पूर्व राजा के कथन का उल्लेख शुक्ल यजुर्वेद (20.1-4) में मिलता है जिसमें राजा कहता है- प्रजा की श्री (समृद्धि) मेरा सिर है, उसका यश मेरा मुख है, उसका तेज मेरे केश और श्मुश्र (मूच्छें)

पहला गणतांत्रिक गणराज्य वैशाली

हैं।... मेरी जिह्वा प्रजा के कल्याण की बात कहे, मेरी वाणी प्रजा की महत्ता की बात कहे। प्रजा का उल्लास मेरा मन है। उसका आमोद-प्रमोद मेरी उँगलियाँ हैं।

मंत्री परिषद

उत्तरवैदिक काल में राजा की सलाह के लिए मंत्रियों की एक परिषद् (राज परिषद्) होती थी। मंत्रियों को 'रत्निन' कहा जाता था। राजसूय के समय राजा रत्नियों के घर जाता था और उन्हें हवि देता था। इससे स्पष्ट है कि राजा के लिए राज्य के पदाधिकारियों का सहयोग आवश्यक समझा जाता था।

संवैधानिक संस्थाएँ : सभा व समिति

ऋग्वेद, अथर्ववेद एवं छान्दोग्य उपनिषद् में सभा व समिति का उल्लेख मिलता है। ये संवैधानिक संस्थाएँ राजनैतिक संगठन की महत्वपूर्ण घटक थी और राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने वाली संस्थाएँ थीं। अथर्ववेद में दोनों को प्रजापति की दो पुत्रियाँ कहा गया है। (सभा च मा समितिश्चावतां प्रजापते दु हितरौ संविदाने। 7.12-1) राजा कहता है- ''सभा और समिति प्रजापति की दुहिताएँ हैं, वे मेरी रक्षा करें। वे मुझे उत्तम शिक्षा दे। 'राजा द्वारा सभा में किए गए निर्णयों की अवहेलना करना सम्भव नहीं था। यूरोपीय विद्वान लुडविग ने सभा को उच्च सदन (Uppar House) और समिति को निम्न सदन (Lower House) (जिसे कि लोक सभा) बताया है। ये संज्ञायें भारतीय संविधान की वैधानिक परम्परा एवं संसदीय परम्परा की सूचना देती हैं। विद्वानों के अनुसार 'समिति' एक आम जन प्रतिनिधि सभा प्रतीत होती है। यह केन्द्रीय राजनीतिक संस्था थी जिसमें महत्वपूर्ण राजनैतिक एवं सामाजिक विषयों पर विचार एवं निर्णय होता था। समिति की बैठकों में राजा भी

भाग लेता था। ऋग्वेद में एक स्थान पर राजा समिति के सदस्यों से कहता है कि मैं 'तुम्हारा विचार और तुम्हारी सम्मति स्वीकार करता हूँ।''

समिति की तुलना में 'सभा' (जैसे कि आज की 'राज्य सभा') छोटी संस्था थी जिसमें ज्येष्ठ या विशिष्ट व्यक्ति ही भाग लेते थे। ऋग्वेद में सुजात (कुलीन या श्रेष्ठ) व्यक्तियों की सभा का उल्लेख है। सभा अनुभवी, वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों की संस्था थी जो राजा को परामर्श एवं न्याय कार्य में सहयोग करती थी। वैदिक साहित्य में सभा सम्बन्धी जो उल्लेख मिलते हैं उनसे भी अधिकांशत: सभा का ग्राम-संस्था होना सिद्ध होता है।

उत्तरवैदिक साहित्य में विदथ नामक संस्था का भी उल्लेख लिता है। सम्भवतया यह विद्वानों की एक परिषद् थी जिसमें गम्भीर व शास्त्रीय विचार-विमर्श होता था।

राज्यों का संघ

तीन हजार वर्ष पूर्व महाजनपद काल में हमारे वर्तमान संविधान में वर्णित संघात्मक गणतांत्रिक व्यवस्था का स्वरूप हमारे प्राचीन भारत के इन गणराज्यों में स्पष्ट दिखायी देता हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण सबसे शक्तिशाली संघ राज्य वाज्जि संघ था, जो उस समय के 8 राज्यों का गणतंत्रात्मक संघ था, जिसमें वज्जि, लिच्छवी, विदेह और ज्ञात्रिक विशेष महत्वपूर्ण थे। इनमें हमारी गणतंत्रात्मक संसदीय व्यवस्था का स्पष्ट प्रभाव दिखायी देता है। इन गणराज्यों के कानून विधान एवं शासन पद्धति का संग्रह हमें तत्कालीन साहित्य में मिलता है।

पाणिनी ने अपने व्याकरण ग्रन्थ अष्टाध्यायी में संघ राज्यों का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने लिच्छवी गणराज्य के लिए राजा शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग किया है जिसका अर्थ बौद्ध ग्रन्थ ललित विस्तार के अनुसार वहां का प्रत्येक मनुष्य स्वयं को राज्य का राजा समझता हो। बौद्ध ग्रन्थ अट्ठकथा एवं एक जातक में लिच्छवी गणराज्य का शासन 7707 राजाओं द्वारा संचालित करने का उल्लेख है। यहाँ राजा शब्द का उल्लेख विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों के लिये है। ये विभिन्न कुटुम्बों के प्रधान होते थे जिनसे शासक सभा का गठन किया जाता था। राजा गणराज्य की केन्द्रीय एवं सर्वोच्च सभी संस्था के सदस्य होते थे। संभवतया प्रत्येक कुटुम्ब या कबीला उस समय का संसदीय क्षेत्र था, जहां से राजा चुनकर आता था और केन्द्रीय सभा का सदस्य बनता था।

कार्यवाही संचालन के नियम

तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था, कानून निर्माण एवं न्याय व्यवस्था का संचालन भी एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत होता था। गणराज्यों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण संवैधानिक इकाई सभा अथवा संस्था होती थी, जिसकी कार्यवाही का संचालन नियमबद्ध तरीके से होता था। सभा या संस्था गणराज्यों के कुल प्रमुखों की सर्वोच्च सभा होती थी। इसमें विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करके निर्णय किया जाता था। जिस स्थान पर सभा की जाती थी उसे संस्थागार या संथागार कहा जाता था। संस्थागार में सदस्यों के एक निश्चित क्रम में बैठने हेतु आसनों की व्यवस्था आसन पन्नापक नाम का अधिकारी करता था। सभा के सदस्यों में से एक सदस्य पर इस बात का दायित्व होता था कि वह न्यूनतम आवश्यक संख्या में सदस्यों को सभा में उपस्थित करने का प्रयास करें। उसे गणपूरक कहा जाता था।

सभा में प्रस्ताव रखने के लिये निश्चित नियम थे। प्रस्ताव पेश करने के बाद प्रस्तोता द्वारा उसे तीन बार दोहराया (अनुस्साव) जाता था ताकि सभा में उपस्थित सभी सदस्य उसे ध्यान से सुन सकें। इनके बाद गण सदस्यों से यह पूछा जाता था कि क्या वे इस प्रस्ताव का अनुमोदन करते हैं जो सदस्य मौन रहते थे उनको सहमत मान लिया जाता था। अन्य सदस्यों द्वारा वाद विवाद किया जाता था। सदस्यों के एकमत न होने पर मतदान से निर्णय कराया जाता था। मत या वोट को छन्द कहा जाता था।

मतदान प्रक्रिया

मत कराने में अध्यक्ष का पर्याप्त हस्तक्षेप होता था। मतदान की प्रक्रिया के अन्तर्गत सभी सदस्यों को अलग-अलग रंग की शलाकाऐं दी जाती थी। प्रत्येक रंग की शलाका एक विशेष दृष्टिकोण या मत की सूचक होती थी। सदस्य को कहा जाता था कि वे उस रंग की शलाका का चयन करे जो अपने मत की सूचक हो और वे अपनी शलाका किसी को न दिखायें। इससे स्पष्ट है कि गुप्त मतदान पर विशेष ध्यान दिया जाता था। एक अधिकारी इन सभी शलाकाओं को इकट्ठा

संविधान की मूल प्रति में दिया गया चित्र

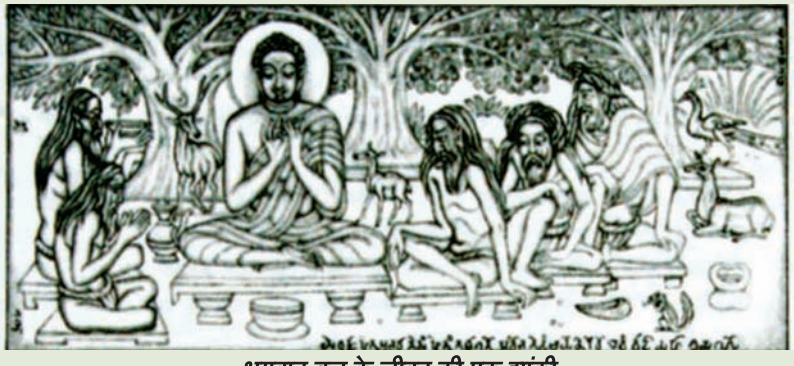

भगवान बुद्ध के जीवन की एक झांकी

करता था। इस अधिकारी को शलाका ग्राहपक (मतदान अधिकारी) कहा जाता था। शलाका संग्रह का कार्य गोपनीय एवं खुले ढंग दोनों प्रकार से किया जाता था। विवाद ग्रस्त प्रश्नों के समाधान के दो तरीके और थे ऐसे प्रश्न पर किसी पड़ौसी संघ से निर्णय करने एवं सलाह हेतु अनुरोध किया जाता था या ऐसे प्रश्न के समाधान का उत्तरदायित्व कुछ व्यक्तियों की समिति को सौंपा जाता था जिसे उब्बाहिक समिति कहा जाता था, जिसका निर्णय सभी को मान्य होता था। इसकी तुलना हम वर्तमान संसदीय समिति से कर सकते हैं।

शासन कार्य के दैनिक संचालन हेतु गणराज्यों की सभा या संस्था द्वारा एक मंत्री परिषद् का भी गठन किया जाता था। जैन ग्रन्थ कल्पसूत्र में नव मल्लई (नौ मल्ल राजा) एवं नव लेच्छई (नौ लिच्छवी राजा) का उल्लेख है, जो महावीर स्वामी की निर्वाण की रात्रि में दीपोत्सव प्रसंग के संदर्भ में उपस्थित हुये थे। संभवतया वे मंत्री परिषद् के सदस्य थे। विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों का प्रमुख राजा को बनाया जाता था, ये उस समय के मंत्री ही थे।

द्विसदन व्यवस्था

केन्द्रीय सभा के अतिरिक्त एक सार्वजनिक सभा के अस्तित्व के संकेत भी लिच्छवी या वज्जि गणराज्य संघ के मिलते है। बौद्ध ग्रन्थ महापरिनिब्बान सुत्त से इसकी पुष्टि होती है। इस प्रकार के उल्लेख से स्पष्ट है कि कुछ गणराज्यों में द्विसदनीय संसदीय व्यवस्था भी थी।

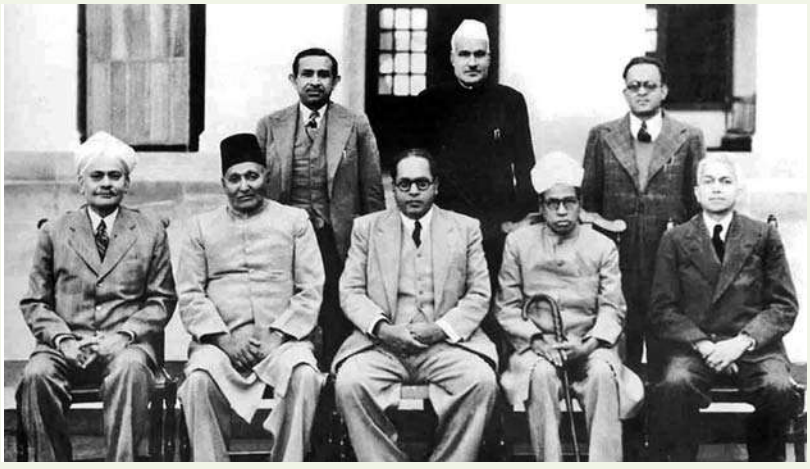

संविधान प्रारूप समिति के सदस्य : खड़े (बाएं से) एन एन मुखर्जी, जुगल किशोर खन्ना, केवल कृष्ण, **बैठे-** एन माधव राव, मोहम्मद सादुल्ला, डॉ.बी आर अम्बेडकर, अलादि कृष्णस्वामी अय्यर, सर बेनेगल नरसिंहराव (सलाहकार)

श्रेष्ठ न्याय-व्यवस्था

गणराज्यों का न्यायिक विधान अत्यधिक लोकतंत्रात्मक एवं अद्भुत था। बुद्धघोष की अट्ठकथा से हमें इस व्यवस्था की विस्तृत जानकारी मिलती है। अपराध की गहन छानबीन करने के बाद ही अपराधी को दण्ड दिया जाता था। वज्जि संघ में अपराधी की जांच पड़ताल एवं न्याय परीक्षा सात विशेषज्ञ पदाधिकारियों अथवा न्यायालय द्वारा की जाती थी।1. विनिश्चय महामात्र, 2. वोहारिक (व्यवहारिक), 3. सुत्तधार (सूत्रधार), 4.अट्ठकुलिक (अष्ट कुलिक), 5.सेनापति, 6. उपराजा और 7. राजा

सर्वप्रथम अभियुक्त को विनिश्चय महामात्र के पास लाया जाता था, जो तथ्यों की प्रारम्भिक जांच करता था। प्रथम दृष्टया निर्दोष होने पर विनिश्चय महामात्र अपराधी को मुक्त कर सकता था। परन्तु दोषी लगने वाले अभियुक्त को सजा नहीं दे सकता था,बल्कि उसे अपनी उच्च अदालत के पास भेज देता था। यह क्रम अन्तिम न्यायालय राजा तक चलता था। अन्तिम निर्णय और दण्ड का अधिकार राजा के पास था। राजा द्वारा दण्ड का निर्धारण मनमाने तरीके से नहीं किया जाता था। इसके लिये पवेणी पोत्थक (दण्ड संहिता) ग्रन्थ की सहायता ली जाती थी। जिसमें अपराध एवं दण्ड के पुराने उदाहरणों का संकलन होता था। उपरोक्त न्याय व्यवस्था के अनुसार वज्जिसंघ गणराज्य में प्रत्येक व्यक्ति का जीवन किसी भी प्रकार की न्यायिक स्वेच्छाचारिता एवं पक्षपात से पूर्णत: मुक्त था। उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सुरक्षा भावना का पूर्ण आदर किया जाता था। नागरिक सुरक्षा की इतनी अच्छी व्यवस्था संसार में बहुत कम देखने को मिलती है।

(लेखक भारतीय इतिहास संकलन योजना, राजस्थान क्षेत्र के अध्यक्ष हैं)

संविधान की मूल प्रति में दिया गया चित्र

भगवान महावीर के जीवन की एक झांकी

संविधान सभा में भारतीय विरासत का उल्लेख

सूर्य प्रताप सिंह राजावत

संविधान के अनेक सदस्यों को संविधान के प्रारूप में प्रस्तावित प्रावधानों का औचित्य भारतीय संस्कृति, परंपरा तथा विरासत में दिखाई दिया जो इस दावे को खारिज करता है कि भारत का संविधान केवल अंग्रेजी विधान तथा अन्य देशों के संविधान पर आधारित है।

भारतीय संविधान सभा की मुहर

संविधान सभा का एक दृश्य

संविधान सभा में बहस के समय वेद, पुराण , उपनिषद्, रामायण , महाभारत, स्मृतियों, शंकराचार्य, तुलसीदास , सूरदास, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद आदि का उल्लेख किया गया था। लिबर्टी (liberty) , इक्वालिटी (equality), फ्रेटर्निटी (fraternity), जस्टिस(justice) शब्द भाषा की दृष्टि से नए हो सकते हैं परन्तु भारतीय परंपरा और राजनीति में न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का उल्लेख मिलता है। संविधान सभा की चर्चा इस पक्ष को समझने में सार्थक है। उद्देश्य संकल्प (objective resolution) से लेकर अंतिम वाचन (third reading) तक स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारतीय विधि शास्त्र के सिद्धांत समृद्ध रहे हैं। गणतंत्र के 75 वर्ष को ईमानदारी से समझने के लिए संविधान सभा की डिबेट्स (बहस) का अध्ययन अपरिहार्य है। जिससे हम भारत के लोग समझ सकें कि संविधान सभा के सदस्यों की भावना और विचार क्या थे। निम्नलिखित उदाहरण एक प्रयास है संविधान और संविधान सभा में भारतीय विरासत को समझने का –

प्राचीन भारत में गणतंत्र व्यवस्था

उद्देश्य संकल्प पर बोलते हुए 20 जनवरी 1947 को डॉ.राधाकृष्णन ने कहा था-

''जब उत्तर से कुछ व्यापारी दक्षिण की ओर गए, तो दक्षिण के राजकुमारों में से एक ने सवाल पूछा। ''आपका राजा कौन है?'' जवाब था, ''हममें से कुछ सभाओं द्वारा शासित होते हैं,कुछ राजाओं द्वारा।''

केचिद्देशो गणाधीना केचिद् राजाधीना

यहां 'सभा से तात्पर्य गणराज्यों के विधानमंडल (संसद) से है।

पाणिनि, मेगस्थनीज और कौटिल्य प्राचीन भारत के गणराज्यों का उल्लेख करते हैं। महान बुद्ध कपिलवस्तु गणराज्य के थे। लोगों की संप्रभुता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। हमने माना है कि अंतिम संप्रभुता नैतिक कानून, मानवता की अंतरात्मा पर निर्भर है। प्रजा और राजा दोनों उसके अधीन हैं। धर्म, राजाओं का राजा है।

धर्मं क्षात्रस्य क्षत्रम्

यह जनता और शासक, दोनों का शासन है। यह कानून की संप्रभुता है जिसका हमने दावा किया है।''

मानवीय आदर्श-समानता, बंधुत्व और भाईचारा और ऋग्वेद

20 जनवरी, 1947 को ही उद्देश्य संकल्प पर श्री अलगू राज शास्त्री ने कहा था-

''इस उद्देश्य संकल्प में सभी युगों के मानवीय आदर्श-समानता, बंधुत्व और भाईचारा-सन्निहित हैं। ऋग्वेद के आठवें 'मंडल' में एक सूक्त है जिसमें कहा गया है: ''सभी मनुष्य समान हैं। राजा को अपनी प्रजा के प्रति वैसा ही सम्मान रखना चाहिए जैसा एक माँ अपने पुत्रों के प्रति रखती है।'' मुझे खुशी है कि ऐसे सभी उच्च आदर्श, जो हमें युगों से सिखाए गए हैं, उद्देश्य संकल्प में प्रतिपादित किए गए हैं और इसलिए मैं इसका समर्थन करने के लिए यहाँ हूँ। 'भागवत' में

परिकल्पित राज्य के सभी आदर्श प्रस्ताव में सन्निहित हैं। 'भागवत' कहता है कि अपने लोगों को उनकी सभी आवश्यकताओं को प्रदान करना राज्य का पवित्र कर्तव्य है: **अन्नादेह समुड्भागः प्रजानाम यथाहिताः।**...हम 'ऋग्वेद' में वर्णित उच्च मानवीय आदर्शों पर चलने का प्रयास करेंगे- **देवाहितं यदायुः।** हमारा शक्तिशाली, उन्नत और समृद्ध राज्य केवल अपने कल्याण के लिए अस्तित्व में नहीं रहेगा; बल्कि यह अपने सभी संसाधनों का उपयोग विश्व के कल्याण के लिए भी करेगा। ...उद्देश्य संकल्प में निहित दृढ़ संकल्प 'ऋग्वेद' में वर्णित प्राचीन उच्च आदर्शों के अनुरूप है - **इन्द्रस्त्वा भिरक्षतु।**

21 जनवरी, 1947 को उद्देश्य पर श्री आर.वी. धुलेकर -

''अधिक दूर न जाकर संक्षेप में इतना कह देना पर्याप्त समझता हूं कि 1 हजार वर्ष पूर्व, जब कि किन्हीं कारणों से भारतीय समाज विशृंखल हो गया था और विदेशियों के आक्रमण को न सहकर उसके अधीन हो गया था, उसी समय से स्वाधीन होने की अग्नि निरन्तर भारतीयों के हृदय में जलती आ रही है। स्वामी रामदास, गोस्वामी तुलसीदास, गुरुनानक, स्वामी दयानन्द, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ आदि भी इस परम्परा के प्रतिनिधि हैं। दूसरी ओर शिवाजी, गुरू गोविदसिंह, राणा प्रताप, झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, राजा राममोहन राय, लोकमान्य तिलक, पं. मोतीलाल नेहरू, सुभाषचन्द्र बोस जैसे इस अग्नि के राजनैतिक स्वरूप में प्रगट हुए। महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खां तो संत भी हैं और राजनीतिज्ञ भी हैं। स्वतन्त्रता का युद्ध इन 200 वर्षों में जारी रहा है। खुदीराम बोस, भगतसिंह, चन्द्रशेखर आजाद, तथा अन्य सहस्त्रों वीरों ने अपना बलिदान दिया है। बलिदानों के कारण इंग्लैंड धीरे -धीरे अपनी शक्ति मजबूर होकर छोड़ता जाता है। ...इंग्लैंड को मजबूर कर दिया कि वह भारत को अब छोड़ दे। यह संविधान सभा इंग्लैंड के हाथों में से छीनी हुई शक्ति है।''

28 अगस्त,1947 श्री उपेन्द्रनाथ बर्मन

''पराधीनता काल में समाज की जो भी कमियां रहीं हों, उस दुर्भाग्य काल में हमने जो भी दोष या पाप अपना लिये हों, पर बंगाल के बारे में तो खास कर के कहूंगा कि ऐसे महापुरुष विवेकानन्द, रवीन्द्रनाथ टैगोर पैदा हुये हैं जिन्होंने हममें यह विश्वास भर दिया है कि भारत का पुनरुत्थान सुनिश्चित है।''

27 दिसम्बर, 1948 (ईश्वर के नाम में शपथ- आध्यात्मिक विरासत) श्री एच.वी. कामथ -

''अतः श्रीमान, अन्त में मैं संविधान सभा से अनुरोध करता हूं कि हमने एक अनन्त तथा आध्यात्मिक विरासत प्राप्त की है, एक ऐसी विरासत प्राप्त की है जो न शारीरिक है, न भौतिक है और न लौकिक ही है: वह ऐसी विरासत है जो आत्मा-सम्बन्धी है, वह आत्मा अब भी है, सदा से चली आई है तथा सदा रहेगी, वह विरासत अनादि-अनन्त है। हमें उस अमूल्य विरासत को खोना नहीं चाहिये। हमें इस विरासत को नष्ट नहीं करना चाहिये। हमें अपनी प्राचीन परम्परा के अनुरूप होना चाहिये। अपने आध्यात्मिक विवेक के अनुरूप होना चाहिये। हमें अनन्त काल से जो ज्योति प्राप्त हुई है उसे यों ही गंवा नहीं देना चाहिये। आइए! हम एक ऐसी राह बनाएं जो तब तक दुनिया की रोशनी बनी रहेगी जब तक सूर्य, चंद्रमा और सितारे बने रहेंगे।''

29 नवम्बर, 1948 (अस्पृश्यता निषेध) डॉ. मोनोमोहन दास -

''महात्मा गांधी ही नहीं परंतु स्वामी विवेकानन्द, राजा राममोहन राय, रवीन्द्रनाथ ठाकुर तथा इस प्राचीन देश के अन्य महापुरुष तथा दार्शनिक जिन्होंने इस घृणित प्रथा के विरूद्ध सतत संघर्ष किया, आज यह देख कर अत्यन्त हर्षित होते कि आखिर स्वतंत्र भारत ने भारतीय समाज से इस कुप्रथा को मिटा दिया है। हिन्दू होने के नाते मैं आत्मा के अमरत्व पर विश्वास करता हूं।''

5 नवम्बर, 1948 (ग्राम पंचायत) श्री एच.वी. कामथ-

''मुझे नहीं पता कि उन्होंने श्री अरविंद द्वारा लिखित ''द स्पिरिट एंड फॉर्म ऑफ इंडियन पॉलिटी'' की किताब पढ़ी है या नहीं। ऐसी किताबों से हमें पता चलता है कि प्राचीन काल में हमारी राजनीति किस तरह से स्वायत्त और आत्मनिर्भर ग्राम समुदायों पर आधारित थी और यही कारण है कि हमारी सभ्यता इतने युगों से बची हुई है। अगर हम अपनी राजनीति की ताकत को भूल जाते हैं तो हम सब कुछ खो देते हैं।''

संविधान की मूल प्रति में दिया गया चित्र

सम्राट अशोक द्वारा भारत और विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रसार को चित्रित करता एक दृश्य

6 दिसम्बर, 1948 (धर्म-religion पर चर्चा) श्री एच.वी. कामथ -

''इस शब्द ''धर्म'' के वास्तविक अर्थ पर आते हुए, मैं दृढ़तापूर्वक कहता हूँ कि 'धर्म' का सबसे व्यापक अर्थ धर्म या उसकी आत्मा के सच्चे मूल्यों से लगाया जाना चाहिए। ''धर्म'', जिसे हमने अपनी संविधान सभा की शिखा या मुहर में अपनाया है और जिसे आप हमारी बहसों की मुद्रित कार्यवाही में पाएंगे (''धर्म चक्र प्रवर्तनाय'')- श्रीमान्, मेरे विचार से, उस भावना को भारतीय संघ के नागरिकों में समाहित किया जाना चाहिए। ''

19 नवम्बर, 1949 (आध्यात्मिक विरासत -तृतीय वाचन) श्री एच.वी. कामथ -

''मैं एक और बात कहना चाहता हूं, श्रीमान, और वह यह है कि हम भारत के लोग अपनी आध्यात्मिकता को तथा अपनी प्राचीन परम्पराओं को नहीं भूलेंगे। स्वामी विवेकानन्द ने ही कहा था कि जिस दिन भारत ईश्वर को भूल जायेगा, जिस दिन वह आध्यात्मिकता को त्याग देगा, उस दिन वह मर जायेगा, और उस दिन वह संसार में कोई शक्ति नहीं रहेगी। मुझे आशा है कि हम अपनी परम्पराओं को बनाये रखेंगे, चाहे हम प्रस्तावना में भगवान के नाम को रखना भूल गये। आइये, हम इस संविधान को दैविक पथ प्रदर्शन की भावना से दैविक अनुकम्पा तथा आशीर्वाद के अधीन, क्रियान्वित करें। स्वामी विवेकानन्द भारत को जगाने के लिये कहते हुए यह वेद मंत्र कहते थे -उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य पर न पहुंच जाओ। ''

17 नवम्बर, 1949 (प्रिएम्बल -तृतीय वाचन) सेठ गोविंद दास -

इस प्रिएम्बल में हमने स्पष्ट कर दिया है कि न्याय का प्रथम स्थान रहना सर्वथा उचित है। हमारे देश में सदा न्याय को ही प्रथम स्थान प्राप्त रहा है। यदि हम अपने प्राचीन इतिहास को देखें, उस इतिहास की परम्परा को देखें, तो हमें ज्ञात होगा कि इस देश में न्याय का प्रथम स्थान था। हमारे यहां कहा गया है ''स्वस्ति प्रजाभ्य: परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महीशा:'' अर्थात् शासक न्याय मार्ग से प्रजा का पालन करें।

(लेखक संविधान शोधकर्ता तथा राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में अधिवक्ता हैं)

इंडिया जो कि भारत है

शिखा शर्मा

संविधान सभा में इस देश के नाम पर हुई बहस में कई सदस्यों ने देश का नाम प्राचीन भारतीय वांग्मय तथा परंपरा के आधार पर 'भारत' रखने का सुझाव दिया था। लेखिका ने इस प्रस्तुत आलेख में इस विषय का अच्छा प्रतिपादन किया है।

भारतीय संविधान की रचना के समय इस देश का नाम रखने का विषय संविधान सभा के सदस्यों के समक्ष रखा गया। संविधान सभा में देश के नामकरण संस्कार पर निर्णायक चर्चा 18 सितम्बर,1949 को हुई। जिसमें कई प्रकार के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

एच.वी.कामथ का प्रस्ताव था कि 'भारत जो कि अंग्रेजी भाषा में इंडिया है' लिखा जावें।' दूसरा विकल्प 'हिन्द अथवा अंग्रेजी भाषा में इंडिया'। बहस के दौरान कई नाम सुझाए गए जैसे - भारत, हिन्दुस्तान, हिन्द, भारतभूमि, भारतवर्ष । चर्चा के दौरान वर्ष 1937 में पारित किए गए आयरलैण्ड के संविधान का उदाहरण दिया गया। जिसमें लिखा है-'राज्य का नाम आयर अथवा अंग्रेजी भाषा में आयरलैण्ड है।'

एच.वी. कामथ का कहना था कि इस देश (भारत) का उल्लेख प्राचीनकाल में हिन्दुस्तान के रूप में किया जाता रहा है और भारत के सभी निवासियों को चाहे उनका धर्म कुछ भी हो हिन्दू कहा जाता है। यूरोप के कई भागों में यह धारणा प्रचलित है कि यह शब्द सिन्धु नदी

संविधान की मूल प्रति में दिया गया चित्र

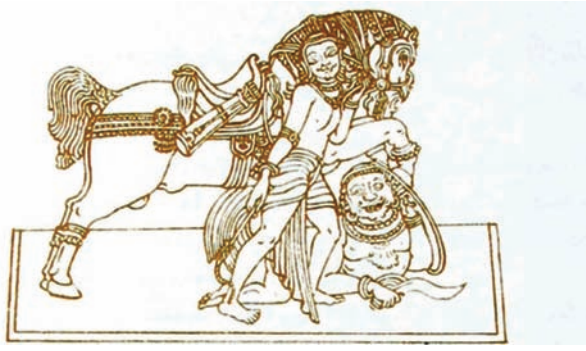

अश्वमेघ यज्ञ का प्रतीकात्मक चित्र (उड़ीसा की मूर्तिकला)

से लिया गया है।'' एच.वी. कामथ ने 'इंडिया जो कि भारत' है, वाक्य रचना पर असहमति जताई थी।

सेठ गोविन्द दास ने भी 'इंडिया देट इज भारत' वाक्य रचना पर असंतोष जताया एवं कहा कि ''कुछ लोगों को यह भ्रम हो गया है कि इंडिया इस देश का पुराना नाम है। हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ वेदों में इंडिया नाम का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में ईडयम, ईडू और ईडेन्य यह शब्द आए हैं। यजुर्वेद में इडा शब्द आया है परन्तु इंडिया का इनसे कोई सम्बन्ध नहीं है।''

''इंडिया शब्द हमारे किसी प्राचीन ग्रन्थ में न होकर उस समय से प्रयोग में आने लगा जब से यूनानी भारत में आये। यूनानियों ने हमारी सिन्ध नदी का नाम इंडस रखा और इंडस कहने के साथ इण्डिया शब्द आया। यह बात एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में भी लिखी है। उसके विपरीत यदि हम देखें तो हमको मालूम होता है कि वेद, उपनिषद तथा ब्राह्मण ग्रंथों के पश्चात् हमारा सबसे प्राचीन और महान् ग्रन्थ जो महाभारत है, उसमें हमको भारत का नाम मिलता है: **''अथते कीर्ति पष्यामि, वर्ष भारत भारत-भीष्म पर्व।''**

''विष्णु पुराण में भी हमें भारत नाम मिलता है। वह इस प्रकार: **"गायन्ति देवाः किल गीतकानि, धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे''।** ब्राह्माण्ड पुराण में भी हमें इस देश का नाम भारत ही मिलता है। ***भरणाच्य प्रजानवै मनुर्भरत उच्यते। निरूक्त वचनाचैव वर्ष तद्भारत स्मृतं।*** चीनी यात्री इत्सिंग जब भारत आया तो उसने भी अपनी यात्रा वृतान्त में इस देश का नाम भारत ही लिखा था।''

श्री कल्लूर सुब्बा राव (मद्रास जनरल) ने कहा ''श्रीमान्, मैं 'भारत' नाम का हार्दिक समर्थन करता हूं जो प्राचीन नाम है। भरत नाम ऋग्वेद (ऋग. 3, 4, 23.4) में है। उसमें यह कहा गया है **'इस इन्द्र भरतस्य पुत्रा'** ऐ इन्द्र, ये भरत के पुत्र हैं। वायु पुराण में भारत की सीमायें दी हुई हैं:

'इदं तु मध्यमं चित्रं शुभाशुभ फलोदयम्। उतरं यतसमुद्रस्य हिम् वत् दक्षिणं च यत्।'

(वायुपुराण उ. 45-75)

इसका अर्थ यह है कि वह भूमि जो हिमालय के दक्षिण में है और समुद्र के उत्तर में है, भारत नाम से पुकारी जाती है। इस कारण भारत नाम बहुत प्राचीन है।

श्री हरगोविन्द पन्त (यूपी-जनरल) ने कहा ''भारतवर्ष या भारत यह नाम तो हमारे दैनिक धार्मिक संकल्प में कहा जाता है जो नित्य स्नान में भी काम में आता है: **''जम्बू द्वीपे भरत खण्डे आर्यावर्ते''** यहीं नहीं, इस नाम को जगत् प्रसिद्ध महाकवि कालिदास ने अपने दो प्रसिद्ध पात्र राजा दुष्यन्त और शकुन्तला के आख्यान में भी प्रयुक्त किया है। राजा दुष्यन्त तथा शकुन्तला के पुत्र का नाम भरत था उनका राज्य भारत कहलाया। इस भारत के विषय में हमारे ग्रंथों में उनकी वीरता का बड़ा रोचक वर्णन आता है। शैशव काल में ही वे सिंह के बच्चों से खेलते थे और उन्हें हरा देते थे। इस आख्यान को सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो फिर मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि क्यों न इस नाम को खुले दिल से ग्रहण किया जाता है।''

परंतु अंत में 18 सितम्बर,1949 को देश के नामकरण संस्कार पर हुए मतदान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक के संबंध में प्रस्तावित सभी संशोधन गिर गए और प्रारूप समिति द्वारा सुझाया गया नाम ही स्वीकार कर लिया गया-'इंडिया जो कि भारत है'।

'इंडिया' से 'भारत'

भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जी 20 समिट में अपने देश को भारत नाम से सभी के समक्ष प्रदर्श किया गया। कह सकते हैं कि वर्तमान सरकार विदेशी आक्रमण से पहले देश की प्राचीन और स्थापित सभ्यता को स्वीकार करने के साथ-साथ हजारों साल पुरानी संस्कृति और परंपरा का सम्मान कर रही है।

इंडिया से भारत नाम बदलने से देश को उपनिवेशवाद से मुक्त पहचान मिलेगी और शाश्वत सकारात्मक मूल्यों को बढ़ावा मिलेगा। वास्तव में यह संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव के अनुरूप होगा जिसके तहत यह संकल्प लिया गया था कि यह प्राचीन भूमि दुनिया में अपना उचित और सम्मानित स्थान प्राप्त करे और विश्व शांति और मानव जाति के कल्याण को बढ़ावा देने में अपना पूर्ण और स्वैच्छिक योगदान दे। भारत नाम हमारी संस्कृति, सभ्यता, इतिहास और विरासत की जड़ों को समेटे हुए है।

(लेखिका राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में अधिवक्ता हैं)

संविधान की मूल प्रति में दिया गया चित्र

कुबेर (गुप्तकाल की एक कलाकृति)

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारत का संविधान

(सरसंघचालक डॉ.मोहन भागवत के विभिन्न वक्तव्य)

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर संविधान विरोधी होने का आरोप वामपंथी, कांग्रेसी एवं वाम-लिबरल बुद्धिजीवियों द्वारा बहुधा लगाया जाता है। ऐसा आरोप न केवल आधारहीन है बल्कि दुर्भावनावश अपने राजनीतिक हित की पूर्ति के लिए लगाया जाता रहा है। इस संदर्भ में संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत द्वारा समय-समय पर व्यक्त विचारों का अवलोकन करना समीचीन होगा।

संविधान में भावनात्मक एकता पर बल

''इस देश की संस्कृति हम सब को जोड़ती है, यह प्राकृतिक सत्य है। हमारे संविधान में भी इस भावनात्मक एकता पर बल दिया गया है। हमारी मानसिकता इन्हीं मूल्यों से ओतप्रोत है।''

(संघ शिक्षा वर्ग, तृतीय वर्ष समापन समारोह, नागपुर - 9 जून, 2016)

संविधान हमारे देश की चेतना

''हमारे प्रजातांत्रिक देश ने, हमने एक संविधान को स्वीकार किया है। वह संविधान हमारे लोगों (भारतीय लोगों ने) ने तैयार किया है। हमारा संविधान, हमारे देश की चेतना है, इसलिए उस संविधान के अनुशासन का पालन करना, यह सबका कर्तव्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसको पहले से मानता है।''

(भविष्य का भारत, नई दिल्ली- 18 सित., 2018)

संविधान का पूर्ण सम्मान करते हैं

''स्वतंत्र भारत के सब प्रतीकों के अनुशासन में उसका पूर्ण सम्मान करके हम चलते हैं। हमारा संविधान भी ऐसा ही प्रतीक है। शतकों के बाद हम को फिर से अपना जीवन अपने तंत्र से खड़ा करने का जो मौका मिला, उस पर हमारे देश के मूर्धन्य लोगों ने, विचारवान लोगों ने एकत्रित होकर, विचार करके संविधान को बनाया है।'' *(भविष्य का भारत-18 सित., 2018, विज्ञान भवन, नई दिल्ली)*

सबकी सहमति से बना संविधान

''संविधान ऐसे ही नहीं बना है। उसके एक-एक शब्द का बहुत विश्लेषण हुआ है और उनको लेकर सर्वसहमति उत्पन्न करने के पूर्ण प्रयास के बाद जो सहमति बनी, वह संविधान के रूप में अपने पास आयी है। उसकी एक प्रस्तावना है। उसमें नागरिक कर्तव्य बताए हैं। उसमें नीति-निदेशक सिद्धांत हैं, और उसमें नागरिक अधिकार भी हैं।''

(भविष्य का भारत, नई दिल्ली 18 सित., 2018)

बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए संविधान

''भारत के बच्चों को, जब वे जीवन के प्रारंभिक चरण में होते हैं, तब उनको संविधान की प्रस्तावना, संविधान में नागरिक कर्तव्य, संविधान में नागरिक अधिकार और अपने संविधान के मार्गदर्शक अर्थात नीति निदेशक तत्व, ये सब ठीक से पढ़ाने चाहिए क्योंकि यही धर्म है।'' *(हिन्दी मासिक विवेक के साथ साक्षात्कार 9 अक्टूबर, 2020)*

विजयादशमी संबोधनों में संविधान का उल्लेख

प्रतिवर्ष विजयादशमी पर नागपुर में आयोजित संघ के कार्यक्रम को सरसंघचालक द्वारा संबोधित करने की परंपरा है। ऐसे कार्यक्रमों में कई बार उनके उद्बोधन में संविधान का विषय आया है। उनके इन वक्तव्यों पर दृष्टिपात करें।

संविधान द्वारा दिखाए मार्ग पर चलना है

''ऐसी नीतियां चलाकर देश के जिस स्वरूप के निर्माण की आकांक्षा अपने संविधान ने दिग्दर्शित की है. उस ओर देश को बढ़ाने का काम करना होगा।''

(विजयादशमी उत्सव, नागपुर 3 अक्टूबर,2014)

प्रतिक्रिया संविधान सम्मत हो

''शासन-प्रशासन के किसी निर्णय पर या समाज में घटने वाली अच्छी बुरी घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया देते समय अथवा अपना विरोध जताते समय, हम लोगों की कृति, राष्ट्रीय एकात्मता का ध्यान व सम्मान रखकर, समाज में विद्यमान सभी पंथ, प्रांत, जाति, भाषा आदि विविधताओं का सम्मान रखते हुए व संविधान कानून की मर्यादा के अंदर ही अभिव्यक्त हो, यह आवश्यक है। दुर्भाग्य से अपने देश में इन बातों पर प्रामाणिक निष्ठा न रखने वाले अथवा इन मूल्यों का विरोध करने वाले लोग भी, अपने-आप

को प्रजातंत्र, संविधान, कानून, पंथनिरपेक्षता आदि मूल्यों के सबसे बड़े रखवाले बताकर, समाज को भ्रमित करने का कार्य करते चले आ रहे हैं।

25 नवम्बर, 1949 को संविधान सभा में दिए अपने भाषण में श्रद्धेय डॉ. बाबा साहब आंबेडकर ने उनके ऐसे तरीकों को अराजकता का व्याकरण कहा था। ऐसे छद्मवेषी उपद्रव करने वालों को पहचानना व उनके षड्यंत्रों को नाकाम करना तथा भ्रमवश उनका साथ देने से बचना समाज को सीखना पड़ेगा।''

(विजयादशमी उत्सव, नागपुर-25 अक्तू. 2020)

संविधान से राजनीतिक व आर्थिक समानता

''संविधान के कारण राजनीतिक तथा आर्थिक समता का पथ प्रशस्त हो गया, परन्तु सामाजिक समता को लाए बिना वास्तविक व टिकाऊ परिवर्तन नहीं आएगा, ऐसी चेतावनी पूज्य डॉ. बाबा साहब आंबेडकर जी ने हम सबको दी थी।''

(विजयादशमी उत्सव, नागपुर-5 अक्तू.2022)

संविधान की भावना को बढ़ाते संघ के कार्य

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत के संविधान में दिए गए मूल विचार को अपनी प्रकृति, अपने व्यवहार में ढाला है। जहां तक हिंदी सहित मातृ भाषाओं का सवाल है, संघ सदैव इसका पक्षधर रहा है। तकनीकी और चिकित्सा संबंधी विषयों को हिंदी में पढ़ाए जाने की योजना का संघ ने स्वागत किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में इस विषय को शामिल किया गया है।

भारत की सुरक्षा और अखंडता के प्रश्न पर संघ ने हमेशा आगे बढ़कर साथ दिया। समय चाहे नई-नई स्वतंत्रता के समय कश्मीर पर पाकिस्तानी कबाइली हमले का हो, पाकिस्तान से 1965 और 1971 का युद्ध हो या 1962 का चीन युद्ध, संघ ने देशहित में आगे बढ़कर काम किया। कई स्वयंसेवकों ने बलिदान दिया। संविधान में समता और बंधुत्व की भावना है। समता और बंधुत्व को कुछ लोग फ्रांसीसी क्रांति से जोड़ते थे। परंतु बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट किया कि यह भारत की संस्कृति से निकला है। उन्होंने इसे बुद्ध से जोड़ा। संघ ने निरंतर अस्पृश्यता के विरुद्ध अभियान चलाया और सभी मनुष्यों को एक माना।

संघ के तृतीय सरसंघचालक पूजनीय बाला साहब देवरस ने स्पष्ट कहा कि ''अगर अस्पृश्यता गलत नहीं है तो दुनिया में कुछ भी गलत नहीं है और इसे पूरी तरह समाप्त होना चाहिए।'' स्पष्ट है कि भारतीय संविधान के भावना और संघ के कार्यों में एक साम्यता है और यह साम्यता स्वयंसेवकों के व्यवहार में शामिल है।

(पाथेय डेस्क)

मूल कर्तव्य

भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों (Fundamental Duties) का उल्लेख भाग IV- (अनुच्छेद 51) में किया गया है। ये कर्तव्य 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़े गए थे। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया। अब मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है।

मूल कर्तव्य (अनुच्छेद 51)

प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वह

1. संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे।
2. स्वतन्त्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोये रखे और उसका पालन करे।
3. भारत की संप्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करे और अक्षुण्ण बनाये रखे।
4. देश की रक्षा करे और आव्हान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करे।
5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं।
6. हमारी सामासिक (Composite) संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे।
7. प्राकृतिक पर्यावरण (environment)। जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी, और वन्य जीव भी है, रक्षा करे, उनका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे।
9. सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे।
10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरन्तर बढ़ते हुए विकास और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।
11. 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बालकों के माता-पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वे उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें।

ये मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को सुनिश्चित करते हैं। ये न्यायालय द्वारा सीधे लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन राज्य इनका पालन सुनिश्चित करने के लिए कानून बना सकता है। इन कर्तव्यों का उद्देश्य नागरिकों में संवैधानिक भावना को मजबूत करना और समाज में नैतिकता व अनुशासन बनाए रखना है। *(पाथेय डेस्क)*

राम जन्मभूमि विवाद सुलझा
संवैधानिक तरीके से

अजय नागर

यह भारत के संविधान की ही जीत थी जब बाबरी ढांचे के स्थान पर श्री राम मंदिर के निर्माण का असंभव सा दिखने वाला और हिन्दू-मुस्लिमों के मध्य अत्यंत विवादित मामला न्यायालय के निर्णय से सुलझ गया। तब दोनों पक्षों ने इसे स्वीकार कर लिया था।

राम मंदिर स्थापना का प्रथम वर्ष पूर्ण हो गया है। राम जन्मभूमि विवाद संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्वक सुलझाया गया है। यही हमारे संविधान की जीत है। इस फैसले के बाद पूरे देश में शांति बनी रही। कहीं भी कोई दंगा-फसाद नहीं हुआ। कहते हैं होइहि सोइ जो राम रचि राखा।

अयोध्या के राम मंदिर मामले की शुरुआत 1528 में हुई थी और यह मामला न्यायालयों में 134 साल तक चला। 9 नवम्बर, 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया था। राम मंदिर घटना क्रम में सन् 1528 में मुगल आक्रांता बाबर के सिपहसालार मीर बाकी ने राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई थी। उसके बाद 1858 में परिसर में हवन-पूजा करने को लेकर एफ़आईआर दर्ज कराई गई थी। 1885 में पहली बार मामला न्यायालय में पहुंचा। उसके बाद 1949 में विवादित स्थल पर भगवान राम की मूर्तियां मिलीं। फिर 1992 में विवादित ढांचा कार सेवकों द्वारा गिरा दिया गया था। 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थल पर किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि पर रोक लगा दी थी। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने 134 साल के लम्बे विवाद के बाद विवादित ज़मीन पर रामलला का हक माना। 9 नवम्बर, 2019 को तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई, पूर्व सीजेआई एसए बोबड़े, वर्तमान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और पूर्व न्यायाधीश अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पांच सदस्यीय बेंच ने राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि का मुकदमा जिताने वाले वरिष्ठ वकील के. परासरण (पूरा नाम केशव अय्यंगार परासरण है) की अध्यक्षता में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया था।

फिर 5 अगस्त, 2020 को मंदिर का भूमिपूजन हुआ। फिर वो दिन आया 22 जनवरी,2024 का, जब रामलला अपनी जन्मभूमि पर भारत के प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी द्वारा विराजमान कराये गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत मोदी जी के साथ गर्भगृह में उपस्थित थे। उस समय सम्पूर्ण भारत प्राण-प्रतिष्ठा का साक्षी बना।

उन्होंने कहा भी राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम आग नहीं, राम ऊर्जा हैं। राम सिर्फ हमारे नहीं, राम सबके हैं। भारत के सबसे बड़े ग्रंथ भारत के संविधान की जीत हुई।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

राष्ट्रीय झंडा तिरंगा
और
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

लेखाराम विश्नोई

वामपंथियों- कांग्रेसियों द्वारा झूठ फैलाया जाता रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने स्वतंत्रता के बाद 50 वर्षों तक अपने कार्यालयों पर तिरंगा नहीं फहराया। वे भूल जाते हैं कि स्वतंत्रता बाद के 50 वर्षों तक आम नागरिक व निजी कार्यालयों सहित गैर सरकारी संगठनों द्वारा अपने घर या कार्यालयों पर तिरंगा फहराने पर कानून के द्वारा ही रोक लगी हुई थी।

तिरंगा फहराने पर लगी इस रोक को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ''भारत संघ बनाम नवीन जिंदल'' के वाद में हटा दिए जाने के बाद इस संबंध में पीडी शेनॉय के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई। इसकी रिपोर्ट के आधार पर सन् 2002 में फ्लैग कोड (झंडा संहिता) के द्वारा नागरिकों में निजी संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं- सभी को तिरंगा फहराने का अधिकार दिया गया। पहले केवल दिन में ही तिरंगा फहराने का नियम था। अब इस कोड द्वारा 24 घंटे और लगातार भी तिरंगा फहराया जा सकता है।

तिरंगा फहराने के इस बदले नियम के कारण ही 'हर घर तिरंगा' जैसे कार्यक्रम संभव हो पाए हैं। इस हेतु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी अपील की थी।

तो जब से गैर सरकारी संगठनों को तिरंगा फहराने की स्वीकृति मिली तब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा भी तिरंगा फहराने के समाचार आते ही रहे हैं। वाम-लिबरल गैंग का यह नैरेटिव की संघ तिरंगा ध्वज नहीं फहराता या 50 वर्षों तक नहीं फहराया यह झूठ के सिवाय कुछ नहीं है।

(लेखक राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में अधिवक्ता हैं)

संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान

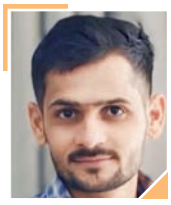

लोकेन्द्र सिंह किलाणौत

स्वाधीनता से पूर्व ही नई लोकतांत्रिक एवं गणतांत्रिक व्यवस्था का स्वागत करने के लिए राजस्थान की रियासतें तैयार थीं और कई रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना हो चुकी थी- इसे रेखांकित करते हुए लेखक ने संविधान सभा में राजस्थान के योगदान पर पर्याप्त प्रकाश डाला है।

भारत के संविधान की गौरवशाली यात्रा आज 75 वर्ष पूरे कर चुकी है। 75 वर्ष की यह यात्रा इसलिए भी हमारी महान थाती है कि जब हमने गणतंत्र की तरफ पहला कदम बढ़ाया तो खुद के समृद्ध गणतंत्र का दंभ भरने वाले देशों ने हमें तिरस्कार की दृष्टि से देखा और दावा किया कि अशिक्षित भारत की जनता गणतांत्रिक मूल्यों के साथ अधिक समय तक कदमताल नहीं कर पाएगी। लेकिन इस 75 वर्ष की यात्रा में भारत की जनता ने सिद्ध किया है कि हमारे गणतांत्रिक और संवैधानिक आदर्श ना केवल मजबूत हैं बल्कि हम आज एक ऐसे मजबूत संवैधानिक ढांचे का निर्माण कर चुके हैं जिसे आपातकाल जैसे मजबूत प्रहार से भी नहीं हिलाया जा सका।

इस अवसर पर यह मूल्यांकन और विश्लेषण जरूर करना चाहिए कि राजस्थान जैसे प्रदेश का संविधान और गणतंत्र के निर्माण में क्या योगदान था। यह एक नई बहस है कि जिस प्रदेश की लगभग पूरी जनसंख्या सामंती शासकों में अपनी निष्ठा व्यक्त करती थी उस प्रदेश ने संविधान और गणतंत्र के निर्माण में अपनी आहुति किस प्रकार दी।

राजस्थान से अलग-अलग समय पर कई लोगों ने संविधान सभा में प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया लेकिन विभिन्न पुस्तकों और स्रोतों में सिर्फ 12 लोगों का ही उल्लेख देखने को मिलता है। देश की राजधानी दिल्ली स्थिति प्रधानमंत्री संग्रहालय में भी राजस्थान से संविधान निर्माण में योगदान देने वाले सिर्फ 12 लोगों का ही उल्लेख किया गया है। लेकिन संविधान सभा की कार्यवाही का अध्ययन करने से पता चलता है कि यह संख्या इससे कहीं ज्यादा है।

संविधान निर्माण में राजस्थान के योगदान को रेखांकित करने से पहले इस बात पर चर्चा करना समीचीन होगा कि देश में संविधान सभा 1946 में अस्तित्व में आई थी लेकिन राजस्थान में उससे पहले ही संवैधानिक विचारों की कोंपलें फूट पड़ी थीं। यहां के शासकों और प्रजामण्डलों ने आम सहमति से खुद के प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजे।

यहां के शासकों को यह बात भली भांति समझ में आ गई थी कि बहुत जल्दी इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था का जन्म होने वाला है और इस विचार को अंगीकार करते हुए स्वाधीनता से पहले ही यहां बड़े स्तर पर संवैधानिक सुधार हुए। नई लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक व्यवस्था का स्वागत करने के लिए राजस्थान पहले से ही तैयार था। इस विचार की पहली अभिव्यक्ति बीकानेर के प्रजावत्सल राजा गंगासिंह के ''रोम नोट'' से प्रकट हुई। 1917 में जब महाराजा गंगासिंह युद्ध सम्मेलन में भाग लेने इंग्लैंड गए हुए थे तो 15 मई, 1917 को लौटते वक्त रोम से उन्होंने भारत सचिव को एक पत्र भेजा जिसे ''रोम नोट'' कहा गया। महाराजा गंगासिंह के इस ''रोम नोट'' में स्पष्ट शब्दों में स्वराज प्रदान किए जाने की मांग थी। महाराजा गंगासिंह की ऐसी ही भावना की अभिव्यक्ति 1937 में जोधपुर के तत्कालीन प्रधानमंत्री डोनाल्ड फील्ड को लिखे एक पत्र में भी प्रकट होती है। यह पत्र उन्होंने डोनाल्ड फील्ड को तब लिखा जब प्रजामण्डल आंदोलन के नेता जयनारायण व्यास को जोधपुर से निर्वासित कर दिया और व्यास बंबई जाकर बॉलीवुड में काम तलाशने लगे। महाराजा गंगासिंह ने डोनाल्ड फील्ड को लिखा ''मुझे मालूम है जयनारायण व्यास मेरे सबसे बड़े आलोचक हैं लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे विरोधी खेमे के लोग भी आगे आएं और जब हम हटें तो ऐसे ही लोग शासन की बागडोर संभालें।'' महाराजा गंगासिंह ने इस पत्र में साफ संकेत दिया कि बहुत जल्दी देश में नई व्यवस्था आने वाली

संविधान की मूल प्रति में दिया गया चित्र

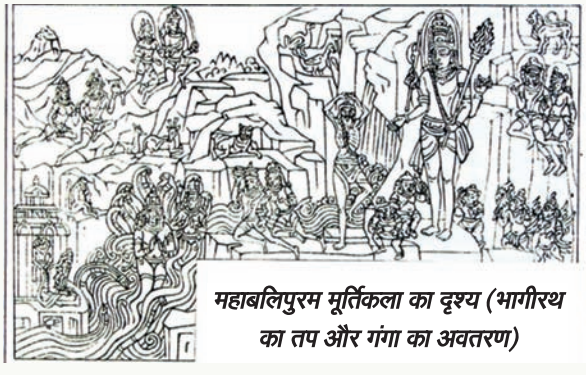

महाबलिपुरम मूर्तिकला का दृश्य (भागीरथ का तप और गंगा का अवतरण)

है, इसलिए वे चाहते थे कि जयनारायण व्यास का मारवाड़ से ना केवल निर्वासन रद्द किया जाए बल्कि उन्हें वहां राजनीतिक गतिविधियों के लिए भी सुविधाएं दी जाए।

सिर्फ बीकानेर ही नहीं बल्कि जोधपुर के शासकों ने भी गणतांत्रिक व्यवस्था की आहट को पहले ही महसूस कर लिया था और इस हेतु सकारात्मक रवैया अपनाया। 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत संघीय व्यवस्था की स्थापना की जानी थी। नवंबर 1936 में जोधपुर राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित करने के लिए वायसराय का एक प्रतिनिधि मंडल महाराजा उम्मेद सिंह से मिलने जोधपुर आया। महाराजा ने जोधपुर को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए तनिक भी झिझक नहीं दिखाई बल्कि वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो को रात्रि भोज के समय कहा कि जोधपुर में तो अधिकतर विभाग पहले ही संघित हो चुके हैं।

यद्यपि द्वितीय विश्वयुद्ध शुरू होने के साथ ही ब्रिटिश सरकार ने भारतीय संघ की योजना को स्थगित कर दिया लेकिन यह घटना इस बात का उदाहरण है कि जोधपुर की जनता और शासक भी एक भारत संघ के सपने को आजादी से दशक भर पहले साकार करने की दिशा में कदम बढ़ा चुके थे। जयपुर, कोटा, अलवर सहित राजस्थान की बाकी रियासतों का भी यही रुख था और इन रियासतों में वहां के शासक और प्रजामण्डलों के सहयोग से उत्तरदायी शासन की स्थापना हो चुकी थी।

अक्सर कहा जाता है कि संविधान निर्माण की मांग को लेकर सबसे पहले आचार्य नरेन्द्र देव ने 1934 में आवाज उठाई। लेकिन इससे पहले ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के ठीक बाद राजस्थान में संविधान का एक प्रारूप भी तैयार हो चुका था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद पंडित मदन मोहन मालवीय का ध्यान इस ओर गया कि यदि देश को स्वधीनता मिली तो भारतीयों का संविधान कैसा होगा? इस विचार को साकार करते हुए उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों के एक दल को यह काम दिया।

उस समय महाराजा गंगासिंह के निजी सचिव जसवंत सिंह तंवर थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में गंगासिंह के साथ शामिल हुए थे। जसवंत सिंह तंवर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कानून के छात्र भी थे, इसलिए मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू के छात्रों के उस दल को जसवंत सिंह तंवर के नेतृत्व में संविधान का प्रारूप बनाने के लिए बीकानेर भेज दिया। बीएचयू के इन्हीं छात्रों के साथ मिलकर जसवंत सिंह तंवर ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप बीकानेर में बैठकर बनाया। जब भारत की संविधान सभा का गठन हुआ तो जसवंत सिंह तंवर ने वहां बीकानेर की तरफ से राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया।

संविधान निर्माण की दिशा में ऐसी ही एक बड़ी घटना 1940 में उदयपुर में हुई। महाराणा भोपाल सिंह ने संविधान निर्माण की आवश्यकता को समझते हुए एक विलक्षण प्रतिभा के धनी श्री के.एम. मुंशी को उदयपुर रियासत में संविधान तैयार करने के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। के. एम. मुंशी उस समय के कानून के विख्यात जानकार थे। भारत की संविधान सभा में वे बॉम्बे स्टेट से निर्वाचित होकर गए थे, लेकिन इससे पहले राजस्थान में बतौर संवैधानिक सलाहकार उनकी सेवाएं उल्लेखनीय थीं। के.एम.मुंशी भारतीय संविधान सभा के सबसे सक्रिय सदस्यों में से एक थे। वे प्रारूप समिति सहित संविधान सभा में कुल 16 समितियों के सदस्य थे।

जयपुर रियासत के प्रतिनिधि वीटी कृष्णमाचारी को संविधान सभा के उपाध्यक्ष पद पर कार्य करने का अवसर मिला। राजस्थान से निर्वाचित होकर गए अधिकतर सदस्यों ने बहुत कम मुद्दों पर ही अपनी राय व्यक्त की और सकारात्मक उदासीनता का रवैया अपनाया। लेकिन राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे लगभग सभी सदस्यों ने भारत की जनता के पक्ष में होने वाली प्रत्येक बहस में अपना समर्थन दिया।

भरतपुर के प्रतिनिधि राज बहादुर राजस्थान से संविधान सभा में सबसे अधिक बोलने वाले सदस्य थे। वे बेगार प्रथा के बड़े आलोचक थे और संविधान सभा में भी उन्होंने बेगार प्रथा को समाप्त करने के लिए मजबूती से बहस में हिस्सा लिया। राजस्थान के लिए संविधान सभा में सबसे बड़ा सवाल सिरोही को राजस्थान में शामिल करने का था। सिरोही, माउंट आबू को राजस्थान में शामिल करने के लिए माणिक्य लाल वर्मा, जयनारायण व्यास तथा गोकुल भाई भट्ट ने आवाज उठाई। अंततः राज्यों के पुनर्गठन के दौरान इस मांग को भी स्वीकार कर लिया गया। हीरालाल शास्त्री ने संविधान सभा में कहा था कि केन्द्र सरकार के पास पर्याप्त ताकत और शक्तियां होनी चाहिए। बीकानेर के प्रतिनिधि जसवंत सिंह ने संविधान सभा में जागीरदारों और राजाओं का पक्ष लेते हुए कहा कि वे सबसे पहले भारतीय हैं।

संविधान की मूल प्रति में दिया गया चित्र

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस और अन्य देशभक्त भारत से बाहर रहकर भारत माता को स्वतंत्र कराने का प्रयास करते हुए

संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान सिर्फ सकारात्मक दृष्टिकोण और बहस, मुद्दों तक ही सीमित नहीं हो जाता। शेखावाटी के विख्यात चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत ने भी संविधान को आकर्षक व सुंदर बनाने के लिए अपनी बेहतरीन चित्रकारी से संविधान को सजाया। उल्लेखनीय है कि संविधान के लिए चित्र बनाने का काम शांति निकेतन के नंदलाल बसु ने किया। उन्हीं के शिष्य कृपाल सिंह शेखावत ने इस काम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन आज संविधान की 75 वर्ष की यात्रा के बाद कुछ ऐसे अनसुने नाम हैं जिन्होंने राजस्थान की तरफ से संविधान सभा में भाग लिया।

कृपाल सिंह शेखावत
मऊ, सीकर

डूंगरपुर के नगेन्द्र सिंह, के एम पणिक्कर, मांधाता सिंह, एन बी खरे, मोहन सिन्हा मेहता, टी. विजया - राघवाचार्य जैसे नाम भी शामिल है जिन्होंने थोड़े वक्त के लिए ही सही लेकिन संविधान सभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। आज हमें इनके भी उल्लेखीय योगदान को भी स्मरण रखने की आवश्यकता है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

संविधान की मूल प्रति में दिया गया चित्र

मोहनजोदड़ो काल की मुहर

संविधान सभा में राजस्थान की भागीदारी

(संविधान शोधकर्ता श्री सूर्य प्रताप सिंह राजावत, अधिवक्ता राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार राजस्थान से निम्नांकित 21 व्यक्तियों ने संविधान सभा की कार्यवाही में भाग लिया)

वीटी कृष्णमाचारी,
जयपुर (संविधान सभा उपाध्यक्ष)

पं. हीरालाल शास्त्री,
जयपुर

खेतड़ी राजा सरदार सिंह बहादुर, जयपुर

जसवंत सिंह, बीकानेर
(संयुक्त राज्य राज.)

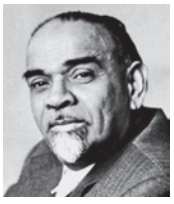

के एम पणिक्कर
बीकानेर

गोकुल लाल असावा
शाहपुरा, भीलवाड़ा

माणिक्य लाल वर्मा
संयुक्त राज्य, राजस्थान

बलवंत सिंह मेहता
उदयपुर

डॉ. मोहन सिंह मेहता,
उदयपुर

टी. विजयराघवाचार्य,
उदयपुर

राज बहादुर,
भरतपुर (मत्स्य संघ)

डॉ. एन बी खरे
अलवर

ले. कर्नल दलेल सिंह
कोटा

जयनारायण व्यास
जोधपुर

सी एस वेंकटाचारी
जोधपुर

पं.मुकुट बिहारी भार्गव
अजमेर, मेरवाड़ा

महाराजा नगेन्द्र सिंह,
पूर्वीराजपूताना की रियासतें

गोकुल भाई भट्ट (सिरोही)
(बाम्बे राज्य से संविधान सभा में)

रामचन्द्र उपाध्याय, अलवर (मत्स्य संघ), **पी एस राव,** जोधपुर व **महाराजा मांधाता सिंह,** (पूर्वी राजपूताना की रियासतें) के चित्र उपलब्ध नहीं हैं।

भारतीय संविधान में पर्यावरण

डॉ. रामकरण शर्मा

हिंदू परंपरा व चिंतन में प्रकृति के शोषण के बजाए दोहन का विचार है। सभी प्रकार के जीव जंतुओं और वनस्पति जगत सहित भूमि, जल और वायु को संरक्षित और सुरक्षित करने का विचार हिंदुत्व के आधार तत्वों में हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त यहीं विचार मौलिक अधिकार नीति निदेशक तत्व तथा मौलिक कर्तव्यों में समाहित किया गया है।

भारतीय परम्परा एवं विचार के अनुसार पुरुष एवं प्रकृति का अटूट संबंध है। धर्म प्रकृति का संरक्षण एवं पोषण करता है। यदि हम हिंदुत्व के विचार पर दृष्टिपात करें तो हम पायेंगे कि हिन्दू न केवल सूर्य, वायु, अग्नि, धरती, वनस्पति, पेड़-पौधों, जल, जंगली जीवों का संरक्षण एवं आदर करते हैं वरन उनका मानना है कि जीवन जगत एवं वनस्पति जगत दोनों का सृजन एवं पालन प्रकृति में व्याप्त पंच तत्वों से हुआ है। वनस्पति जगत में छोटे से छोटे पौधे, झाड़ी, घास से लेकर बड़े से बड़े पेड़ तक इन पंच तत्वों से पैदा एवं विकसित हुए हैं। हिंदू अनेक पशु-पक्षियों का किसी न किसी देवता की सवारी या आभूषण के रूप में सम्मान करते हैं, तो विशेष उत्सवों पर इनकी पूजा-अर्चना की जाती है। इसी प्रकार वनस्पति जगत में पीपल, शमी, बरगद, आंवला, कदम, तुलसी, शमी जहां एक ओर पवित्र वृक्ष माने जाते हैं तो विशेष दिनों पर इनकी पूजा भी की जाती है। इनका काटना एवं अन्य वृक्षों को रात्रि में काटना या छेड़ना वर्जित है।

वास्तव में सभी सभ्यतायें पानी के स्रोतों के पास, विशेष रूप से नदी किनारे ही विकसित हुई हैं, जैसे सिन्धु घाटी सभ्यता। इस दृष्टि से प्रकृति एवं संस्कृति एक दूसरे की पूरक ही नहीं, बल्कि प्रगाढ़ रूप से जुड़ी हुई हैं। हमारी संस्कृति हमारे इतिहास, परम्पराओं तथा विश्वासों को प्रतिबिम्बित करती है। इसलिए हिन्दुओं के प्राचीन वांग्मय, जो अधिकांशत: संस्कृत एवं पाली भाषा में हैं, जैव विविधता की संरक्षा के प्रत्यक्ष निर्देश प्रदान करते हैं। परन्तु औद्योगीकरण एवं शहरीकरण के कारण पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। ताजा जल एवं शुद्ध वायु की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। यह तभी सम्भव है जब सरकार एवं जनता की प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा में सक्रिय भागीदारी हो। सांस्कृतिक विरासत व पारंपरिक ज्ञान को सुरक्षित एवं संरक्षित करना तथा पर्यावरण संरक्षण और विकास करना हमारा दायित्व है।

संवैधानिक प्रावधान

भारतीय परम्परा को कानूनी आधार प्रदान करने के लिए जहां एक ओर भारतीय संविधान में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, वहीं दूसरी ओर जल, वायु, एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष कानून भी हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के रूप में पर्यावरण संरक्षण के लिए कई प्रावधान शामिल हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ वातावरण में जीने के अधिकार को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 21 ए के शिक्षा के अधिकार में पर्यावरण शिक्षा एवं जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए राज्य को निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने का दायित्व है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और स्थायी विकास को भी सम्मिलित किया गया है। भाग 4 ए के अनुच्छेद 51 ए (जी) में मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत कहा गया है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने में विशेष रूप से जंगल, तालाब, नदियां, वन्य जीव सहित सभी तरह के प्राकृतिक पर्यावरण संबंधित चीजों की रक्षा करना और बढ़ावा देना हर भारतीय का कर्तव्य होगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को सभी जीवों के प्रति करुणा रखनी होगी।

अनुच्छेद 47 कहता है कि लोगों के जीवन स्तर को सुधारने, सार्वजनिक स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए काम करना राज्य के प्राथमिक कर्तव्यों में शामिल है। सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के तहत पर्यावरण संरक्षण और उसमें सुधार भी शामिल है क्योंकि इसके बिना सार्वजनिक स्वास्थ्य सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि विशेष तौर पर राज्यों को जीव-जंतुओं की प्रजातियों को संरक्षित करना चाहिए। अनुच्छेद 48 ए कहता है कि राज्य पर्यावरण संरक्षण और उसको बढ़ावा देने का काम करेंगे और देश भर में जंगलों तथा वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करेंगे। अनुच्छेद 14, 21 व 19 को पर्यावरण संरक्षण के लिए न्यायालय द्वारा प्रयोग में लाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने एमसी मेहता विरूद्ध भारत संघ देहरादून खदान मामलों में शुद्ध वातावरण को मौलिक अधिकार माना गया है।

इस प्रकार भारतीय संविधान में भारतीय विचार परम्परा के अनुसार प्रकृति में व्याप्त पंच तत्व तथा जीवन जगत प्राणी एवं वनस्पति को संरक्षित एवं संवर्धित करने के बारे में राज्य एवं व्यक्ति को दायित्व दिया गया है।

(लेखक निम्स विश्वविद्यालय, जयपुर के विधि एवं प्रबंध संकाय में प्रोफेसर एवं संकाय-अध्यक्ष रहे हैं)

"शांति पाठ" और पृथ्वी सम्मेलन

भरतराम कुम्हार

1992 में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत के प्रत्येक मांगलिक कार्य में किए जाने वाले शांति पाठ का उल्लेख किया था। यह भारत की प्राचीन पर्यावरणीय दृष्टि और शांति के विचार का प्रतीक है।

अमेरिका के तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री अल गोर, जो समापन सत्र की अध्यक्षता कर रहे थे, ने इसे पर्यावरण संरक्षण और मानवता के बीच सामंजस्य का अद्भुत प्रतीक माना। श्री अल गोर ने भारतीय परंपरा की इस आध्यात्मिक सोच को एक वैश्विक संदेश के रूप में स्वीकार किया, जो प्रकृति और मानव के बीच परस्पर सम्मान और जिम्मेदारी को बढ़ावा देता है।

यह वैदिक शांति पाठ इस प्रकार है- ''ऊँ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षः शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि।। ऊँ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।''

इसका अर्थ है: ''आकाश में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, पृथ्वी पर शांति हो, जल में शांति हो, औषधियों में शांति हो, वनस्पतियों में शांति हो, समस्त ब्रह्मांड में शांति हो और हर स्थान पर शांति हो।''

(लेखक विद्या भारती राजस्थान के उपाध्यक्ष हैं)

संविधान की मूल प्रति में दिया गया चित्र

नटराज

भारतीय परंपरा और संविधान में महिलाओं का सम्मान

डॉ. कैलाश चंद गुर्जर

प्रस्तुत आलेख में प्राचीन भारतीय वांग्मय में स्त्रियों के सम्मान, अधिकार तथा उनके योगदान की पड़ताल करते हुए लेखक ने भारत के संविधान में उन्हें दिए गए अधिकारों को रेखांकित किया है तथा उनके सम्मान को अक्षुण्ण रखने व उन्हें आवश्यक लाभ, सुविधाएं आदि देने के लिए बनाए गए केन्द्रीय कानूनों का उल्लेख किया है।

वैदिक काल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण और गौरवमयी युग था, जिसमें महिलाओं की भूमिका और अधिकारों में एक सकारात्मक दृष्टिकोण देखा गया। इस काल में महिलाओं को समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर मिला। वेदों में महिलाओं के योगदान को बहुत सम्मान मिला। उन्हें धार्मिक, बौद्धिक और सामाजिक जीवन में समान अधिकार प्राप्त थे। बृहदारण्यकोपनिषद् में स्त्री को सृष्टि की रिक्तता को पूर्ण करने वाली कहा गया है- 'अयमाकाशः स्त्रिया पूर्यते'

वैदिक साहित्य में अनेक उदाहरण मिलते हैं, जहां महिलाएं ज्ञान की देवी मानी गई और वे धार्मिक अनुष्ठानों में पुरुषों के बराबर भागीदार थीं, उदाहरणस्वरूप, अदिति, इन्द्राणी, लोपामुद्रा, सिकता-निवावरी, जुहू, सूर्या- सावित्री, रोमशा-कक्षीवान, वाक् आम्भृणी, शची-पौलोमी, शाश्वती-आंगिरसी, घोषा-काक्षीवती, श्रद्धा-कामायनी, मैत्रेयी जैसी महान महिलाओं का उल्लेख किया गया है, जिन्होंने धार्मिक और दार्शनिक चर्चाओं में योगदान दिया। गार्गी ने राजा जनक के दरबार में महान विद्वानों से धार्मिक और दार्शनिक चर्चाओं में भाग लिया। इसी प्रकार, याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी ने जीवन और आत्मा के रहस्यों पर गहरे सवाल उठाए। इन महिलाओं की बुद्धिमत्ता और विद्वत्ता ने समाज में महिलाओं की प्रतिष्ठा को बढ़ाया।

ऋग्वेद जैसे प्रमुख वेद में भी महिलाओं (ऋषिकाओं) द्वारा रचित मंत्र मिलते हैं, जो उनके धार्मिक और बौद्धिक योगदान का प्रतीक है। ऋग्वेद में स्त्री को ब्रह्मा की संज्ञा से विभूषित किया गया है- '**स्त्री हि ब्रह्मा बभूविथ**'

इसके अलावा, वैदिक काल से ही विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता रहा है। महिलाओं को धार्मिक संस्कारों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। यह संकेत करता है कि महिलाओं को धार्मिक कर्तव्यों और परिवारिक जीवन में बराबरी का दर्जा दिया जाता था। वेदों के सूत्रों में महिलाओं के शिक्षा में भाग लेने का भी उल्लेख मिलता है। महिलाएं वेद, संस्कृत और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में योगदान देती थीं। वे समाज के मामलों में सक्रिय भागीदार थीं

और स्त्रीधन (महिला का संपत्ति अधिकार) का भी उल्लेख किया गया है, जो उनकी स्वायत्तता का प्रतीक था। कई प्रसिद्ध संस्कृत श्लोक हैं जो महिलाओं के सम्मान और उनके महत्व को दर्शाते हैं:

मनुस्मृति : ''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:। यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला: क्रिया:।।'' ''जहां महिलाएं पूजी जाती हैं, वहां देवता निवास करते हैं। जहां महिलाएं सम्मानित नहीं होतीं, वहां सभी कार्य निष्फल होते हैं।''

विष्णु पुराण : ''यत्र स्त्री पूज्यते रामेण तत्क्षेत्रं पवित्रं । तत्र देवते स्थिता: यत्र देवता स्थिता।।'' ''जहां स्त्री का सम्मान किया जाता है, वहां वह स्थान पवित्र होता है, और वहां देवताओं का वास होता है।''

शिव महापुराण : ''शिवस्तु स्त्री पूज्यं धर्मपत्नी महाशक्ति। धर्मेण समं यं सा कर्तव्यं साध्यं सदा।।'' अर्थात ''शिव ही वह देवता हैं, जिनका अस्तित्व स्त्री के सम्मान में है और स्त्री का धर्मपत्नी के रूप में सम्मान सदैव आदर्श होता है।''

भारतीय संविधान में महिलाओं के अधिकार

कुछ प्रमुख अनुच्छेद निम्नलिखित हैं:

अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) : संविधान की धारा 14 के तहत, सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। इसका अर्थ है कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान कानून की दृष्टि से समान अधिकार मिलते हैं।

अनुच्छेद 15 (भेदभाव का निषेध) : अनुच्छेद 15 के तहत, धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

अनुच्छेद 16 (सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर) : यह अनुच्छेद महिलाओं को सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर प्रदान करती है। यहाँ तक कि यदि विशेष परिस्थितियों में महिलाओं के लिए आरक्षण की आवश्यकता होती है, तो इसे स्वीकार किया गया है।

अनुच्छेद 39 (महिला-बच्चों को विशेष संरक्षण): संविधान की धारा 39 (a) और (d) महिलाओं और बच्चों के प्रति विशेष संरक्षण सुनिश्चित करती है। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन मिले और उनके प्रति कोई भेदभाव न हो।

अनुच्छेद 42 (कार्यस्थल में महिलाएं) : यह अनुच्छेद कामकाजी महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा का प्रावधान प्रदान करती है, जैसे कि मातृत्व अवकाश और कार्यस्थल पर उन्हें सुरक्षा। इस अनुच्छेद के तहत, यह नागरिकों का कर्तव्य है कि वे महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करें और उनके प्रति हिंसा, शोषण और भेदभाव से बचें।

संविधान की मूल प्रति में दिया गया चित्र

शांति के दूत बापूजी का नोआखली के दंगाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा

महिलाओं के लिए प्रमुख अधिनियम (Acts)

भारतीय सरकार ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कई कानून बनाए हैं। कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम (Acts) निम्नलिखित हैं:

1. दहेज निषेध अधिनियम, 1961 : इसके तहत दहेज लेना और देना दोनों अवैध है, और इस अपराध के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है।

2. गर्भावस्था का चिकित्सकीय समापन अधिनिमय, 1971 : महिलाओं को कुछ परिस्थितियों में सुरक्षित गर्भपात का अधिकार देता है।

3. मातृत्व लाभ (महिला कर्मचारी) अधिनियम, 1976 : यह अधिनियम महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश और अन्य लाभों का प्रावधान करता है।

4. महिलाओं का अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम 1986 : यह महिलाओं के अश्लील चित्रण को रोकता है एवं इसके लिए दंड का प्रावधान करता है।

5. सती प्रथा (प्रतिबंध) अधिनियम, 1987 : इस अधिनियम के द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया है। यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी महिला को सामाजिक दबाव के तहत सती बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

6. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 : इसके तहत महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकायत कर सकती हैं और कानूनी सुरक्षा प्राप्त कर सकती हैं।

7. बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 : यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के विवाह को अवैध घोषित करता है और इसके लिए दंड का प्रावधान करता है।

8. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 : इस अधिनियम का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकना और निवारण के लिए तंत्र प्रदान करना है।

9. संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम : महिला आरक्षण अधिनियम सितम्बर 2023 में भारतीय संसद द्वारा पारित

किया गया था। इस अधिनियम के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधान सभा में सभी सीटों का एक-तिहाई हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। यह कदम भारतीय राजनीति में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने और उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। यह नियम जनगणना के बाद संसदीय क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के पश्चात् लागू होगा।

नारी शक्ति, अधिकार और सुरक्षा के लिए अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान

1. राष्ट्रीय महिला आयोग : राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें न्याय दिलाने के लिए काम करता है। यह आयोग महिलाओं के मामलों पर सलाह देता है और उनके अधिकारों का उल्लंघन होने पर उन्हें न्याय दिलाने में मदद करता है।

2. शारीरिक और मानसिक शोषण से सुरक्षा : भारत सरकार ने महिलाओं के विरुद्ध शारीरिक और मानसिक शोषण को रोकने के लिए कई योजनाएँ और प्रावधान लागू किए हैं। जैसे, महिला हेल्पलाइन और महिला सुरक्षा योजनाएँ, जो महिलाओं को उत्पीड़न और शोषण से बचाने के लिए काम करती हैं।

निष्कर्ष

भारतीय संविधान और विभिन्न अधिनियमों में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए मजबूत प्रावधान हैं। ये प्रावधान महिलाओं को समान अधिकार, सम्मान, और सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य समाज में महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें एक सुरक्षित, स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करना है।

(लेखक मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर में इतिहास के सहायक आचार्य हैं)

सर्वोच्च न्यायालय के ध्येय वाक्य *"यतो धर्मस्ततो जयः"* में *धर्म की अवधारणा*

लेखिका ने धर्म की विभिन्न अवधारणाओं पर चर्चा करने के साथ ही धर्म के विशाल फलक को रेखांकित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के ध्येय वाक्य के पीछे की भावना को स्पष्ट करने का प्रयास किया है।

प्रो. अम्बिका ढाका

धर्म की अवधारणा

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ध्येय वाक्य ''यतो धर्मस्ततो जयः'' के मूल में धर्म अवस्थित है। धर्म के अनेक तात्पर्य हैं, यथा-सामान्य रूप से धर्म एवं शास्त्रों में निर्धारित सामाजिक-धार्मिक कर्तव्य। धर्म (धर्म) से यह भी तात्पर्य लिया जाता है:-संवैधानिक प्रकृति; व्यक्तिगत कर्तव्य; धार्मिक आचरण के सिद्धांत; धार्मिकता। व्युत्पत्ति के अनुसार, यह मूल 'ध्र' धातु से निकला है जिसका अर्थ है सहन करना, समर्थन करना, बनाए रखना। इसी मूल से हमें धरती, धारी, ध्र, धातृ, धारणा, धीर और धैर्य मिलते हैं। इनका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाना कठिन कार्य है, और भारतीय संस्कृति के संदर्भ में इसके अर्थ को व्यक्त करने के लिए कई शब्दों की आवश्यकता होती है। धार्मिकता, धर्म, कानून, नैतिकता, शुद्धता, कर्तव्य, विश्वास को बनाए रखना आदि। इस प्रकार धर्म संस्कृत शब्द 'ध्र' धातु से निकलकर जो अर्थ स्पष्ट करता है, वह है- ''धारण करना'', ''बनाए रखना'' या ''संरक्षित करना''। अब प्रश्न यह है -क्या धारण करें? यह पुण्य की रक्षा है, यह सत्य को बनाए रखना है, यह अच्छाई को बनाए रखना है, यह अपने कर्तव्यों का पालन करना है। अन्य शब्दों में कहें तो धर्म, मानव जाति के आचरण के बारे में है। यदि आप सद्गुणों को बनाए रखते हैं तो आपका धार्मिक होना जीवन यापन का सही तरीका है। यह आपके कर्तव्यों का निर्वहन करने, मूल्यों, नैतिकता और गुणों को बनाए रखने और अच्छाई का अभ्यास करने के बारे में है। धर्म वह सब है जो न्यायपूर्ण, सही और सदाचारी है।

हिंदू धर्म में धर्म व्यक्तिगत आचरण

को नियंत्रित करने वाला धार्मिक और नैतिक कानून है। यह जीवन के पुरुषार्थ चतुष्टय के घटकों में से है, जो ऋत के अनुरूप है, और जो जीवन और ब्रह्मांड को संभव बनाता है। इसमें कर्तव्य, अधिकार, कानून, आचरण, गुण और ''जीवन जीने का सही तरीका'' सम्मिलित है। भारतीय, विशेष रूप से हिंदू संस्कृति में धर्म (धर्म) निर्विवाद रूप से सबसे केंद्रीय और महत्वपूर्ण अवधारणा है।

धर्म का विशाल फलक

जीवन धर्म से आच्छादित है। धर्म के बिना जीवन निरर्थक है। इसी धर्म ने हम सबको धारण किया हुआ है और हमने जन्म से मृत्युपर्यन्त धर्म को धारण किया हुआ है। जिस प्रकार पुष्प से उसकी सुगंध, कमल से उसकी कोमलता, नदी से उसकी चपलता, जल से उसकी आद्रता, अग्नि से उसकी ऊष्मा को अलग नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार मानव जीवन से धर्म को अलग नहीं किया जा सकता। संक्षेप में ''धर्म'' से अलग हो जाना असंभव है। धर्म की व्याख्या में 'मजहब' (सम्प्रदाय=रिलिजन) को खड़ा करना सर्वथा अनुचित है।

धर्म भारत की आत्मा है। इसे 'सेकुलर' कहना अपमानजनक है। धर्म के मूल भाव में निरंतरता, गतिशीलता,अवरोध रहित बहाव प्रवाहित होता है। भारत का संविधान, राज्य, सरकार और सरकार के सभी घटक-कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका इस धर्म की रक्षार्थ उद्यत हैं और इसकी आत्मा का पोषण भी करती रहती हैं।

उच्चतम न्यायालय का ध्येय वाक्य व उसकी भावना

'यतो धर्मस्ततो जयः' वाक्यांश इस आदर्श को दर्शाता है कि आचार-विचार और नैतिक सिद्धांत अर्थात् धर्म, सफलता और विजय का मार्गदर्शन करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में, यह वाक्यांश महत्वपूर्ण है क्योंकि, यह इस विचार को रेखांकित करता है कि न्याय, निष्पक्षता और कानून का पालन, सामाजिक मामलों में सच्ची सफलता प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक है। इस वाक्यांश को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कुछ फैसलों में विशेष रूप से इस बात पर जोर देने के लिए इस्तेमाल किया था कि कानून का शासन और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता सभी परिस्थितियों में बनी रहनी चाहिए, भले ही चुनौतियों या विरोध का सामना करना पड़े। इस नीतिवचन को शामिल करके, न्यायालय इस सिद्धांत को पुष्ट करता है कि धर्म में निहित न्याय से अंतिम सफलता मिलती है और समग्र रूप से समाज का कल्याण होता है। भारतीय न्यायशास्त्र में, यह वाक्यांश व्यापक अवधारणा के साथ संरेखित होता है कि कानून केवल नियमों की एक प्रणाली नहीं है, बल्कि इसे आचार-विचार और नैतिक मूल्यों के साथ जोड़ा जाना चाहिए जो सभी के लिए निष्पक्षता, समानता और न्याय सुनिश्चित करता है।

धर्म और राष्ट्रीयता पर विचार करें तो भारतवर्ष की भौगोलिक संरचना में राष्ट्रीयता का भाव उसी काल से है जबसे धर्म की अवधारणा है। जबसे सभ्यता है तबसे धर्म है। अतः राष्ट्र रूपी संज्ञा का विशेषण धर्म है। वर्ण, मत, आचार-विचार और अनेकानेक भेद होने के उपरांत भी भारत एक राष्ट्र बना हुआ है इसका कारण धर्म ही है। इससे छोटा यूरोप अनेक टुकड़ों में टूट गया, हमसे बड़े क्षेत्रों में फैली सभ्यताएं नष्ट हो गई पर हजारों वर्षों के आक्रमण के उपरांत भी हमारा भारत देश बचा हुआ है। इतने बड़े-बड़े आघात के बाद भी इसकी चेतना बनी हुई है। राष्ट्र एक शरीर है और धर्म इसकी आत्मा है। हम धर्म की ओर लौटेंगे तो राष्ट्र की जीत होगी।

कहा गया है कि '**धर्मेण हन्यते व्याधिः हन्यन्ते वै तथा ग्रहाः। धर्मेण हन्यते शत्रुः यतो धर्मस्ततो जयः।**' अर्थात् धर्म से व्याधि दूर होती है, ग्रहों का हरण होती है, शत्रु का नाश होता है। जहाँ धर्म है, वहीं विजय है।

भारत के उच्चतम न्यायालय (Supreme Court of India) ने इस वाक्य को बड़े ही आदर से ग्रहण करके अपना ध्येय-वाक्य बनाया है और अपने प्रतीक-चिह्न के नीचे यह वाक्य अंकित किया है। सन 2000 में उच्चतम न्यायालय के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 2 रूपये मूल्य का सिक्का भी जारी किया गया था, उसमें भी यह वाक्य उत्कीर्ण किया गया। स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप तैयार किया गया था, उसमें वज्र और 'वन्देमातरम्' के साथ 'यतो धर्मस्ततो जयः' का यह वाक्य अंकित था।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति जितनी पुरातन है, उतनी ही धर्म की अवधारणा भी। सर्वोच्च न्यायालय के ध्येय वाक्य ''यतो धर्मस्ततो जयः'' में भारतीय चिंतन और धर्म की आत्मा का निवास है जो हमें समृद्ध करती है तथा हम सभी उसके प्रहरी हैं।

(लेखिका सिक्किम के केंद्रीय विश्वविद्यालय में इतिहास की प्रोफेसर हैं)

संविधान की मूल प्रति में दिया गया चित्र

लक्ष्मीबाई और टीपू सुल्तान के चित्र (ब्रिटिश राज्य के खिलाफ विद्रोह)

नये संसद भवन में लगा है अखंड भारत का मानचित्र

भारत का नया संसद भवन 28 मई, 2023 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस नये संसद भवन में प्राचीन भारत के प्रभाव को दर्शाता अखंड भारत का भित्तिचित्र बनाया गया है। इसके साथ ही देव-दानवों के मध्य हुए समुद्र मंथन तथा कोणार्क के सूर्य मंदिर के चक्र को भी भित्तिचित्रों में दर्शाया गया है। राजनीति, अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान चाणक्य, डॉ.अंबेडकर, सरदार पटेल आदि कई महापुरुषों, महानायकों के भी भित्ति चित्र बनाए गए हैं। भारत की सांस्कृतिक विविधता की झलक नए संसद भवन में दिखाई देती है।

विजय मंदिर की डिजाइन में

नए संसद भवन की डिजाइन मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित 11वीं शताब्दी के विजय मंदिर से मिलती हैं। बताते हैं कि औरंगजेब ने मंदिर को तोप से ध्वस्त कर मस्जिद बनवा दी थी। जब 1992 में बाढ़ से मस्जिद का एक भाग ढह गया तो भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसे संरक्षण में लेते हुए वहां खुदाई करवाई। खुदाई में मस्जिद के नीचे मंदिर दिखाई देने लगा।

द्वारों के सांस्कृतिक नाम

64 हजार 500 वर्ग मीटर में बनाए गए इस नए संसद भवन में 3 दरवाजे हैं, उन्हें ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिए गए हैं। यह भवन भारत की विविध संस्कृति को दर्शाता है। नए संसद भवन परिसर के छह द्वार हैं, जिनके नाम पौराणिक महत्व के प्राणियों पर रखा गया है जिन्हें भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है। ये हैं गज, अश्व, गरुड़, मगर, शार्दुल और हम्सा (हंस) द्वार, सभी द्वारों पर इन शुभ जीवों की लाल बलुआ पत्थर की मूर्तियां लगी हैं। नए संसद भवन के भव्य प्रवेश द्वारों पर नजर डालने पर भारत का सांस्कृतिक इतिहास पूरी तरह दिखाई देता है।

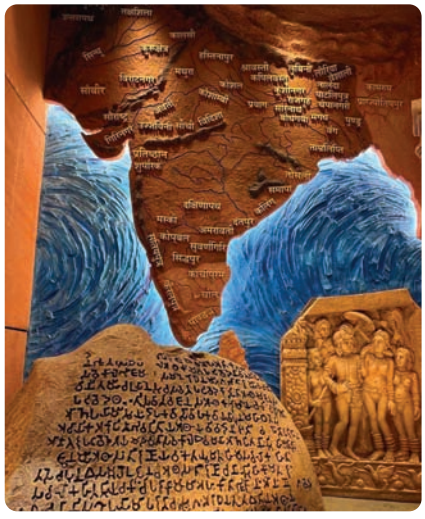

मंत्रोच्चार से उद्घाटन

भवन के उद्घाटन में भारतीय संस्कृति की छाप थी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी धोती-कुर्ता पहनकर पहुँचे थे। पूरे विधि-विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ नए भवन का उद्घाटन समारोह आरंभ हुआ था। लगभग एक घंटे तक हवन-पूजा का कार्यक्रम तमिलनाडु से आए अधीनम संत के मंत्रोच्चार से पूरा हुआ

'सेंगोल' स्थापना और संतों का आशीर्वाद

तमिलनाडु से ही आए शैव पुरोहितों ने प्रधानमंत्री को सेंगोल भेंट किया। प्रधानमंत्री ने सेंगोल को साष्टांग दण्डवत

प्रणाम किया और उसे संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के बगल में स्थापित किया। प्रधानमंत्री मोदी के तत्पश्चात् संतों का आशीर्वाद लिया तथा भवन निर्माण का काम करने वाले श्रमिकों को सम्मानित किया। कार्यक्रम की कमेंट्री संस्कृत भाषा में की गई।

मयूर तथा कमल पुष्प की थीम

लोकसभा कक्ष को राष्ट्रीय पक्षी मयूर की थीम पर बनाया गया है। छत पर इसके पंखों जैसी डिजाइन तैयार की गई है। राज्यसभा कक्ष को कमल पुष्प की थीम पर सजाया गया है।

भारत के नए संसद भवन (संविधान भवन) में विभिन्न संस्कृत श्लोक, प्रतीक और शिलालेख उकेरे गए हैं, जो भारतीय संस्कृति, दर्शन और सभ्यता के मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण श्लोक और प्रतीकात्मक संदेश निम्नलिखित हैं:

1. **'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय'** : (सभी के हित और सुख के लिए)

2. **''धर्मचक्र''** : संसद भवन के डिजाइन में अशोक चक्र प्रमुखता से दिखाया गया है, जो ''धर्म, न्याय और नैतिकता'' का प्रतीक है।

3. **मंत्र ''लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु''** : (संपूर्ण लोक सुखी हों।)

4. **''सत्यमेव जयते''** : यह वाक्य मुण्डक उपनिषद् से लिया गया है और भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। इसका अर्थ है ''सत्य की ही विजय होती है।''

5. **वेदों और उपनिषदों से उद्धरण :** नए संसद भवन में ऋग्वेद, यजुर्वेद, और उपनिषदों से प्रेरित श्लोक अंकित किए गए हैं, जिनमें ''वसुधैव कुटुम्बकम्'' (पूरी दुनिया एक परिवार है) और ''संगच्छध्वं संवदध्वं'' (सभी मिलकर चलें और संवाद करें) जैसे श्लोक शामिल हैं।

6. प्राकृतिक प्रतीक और भारतीय संस्कृति : भवन में उकेरे गए कमल, मोर, हाथी, और सूर्य जैसे प्रतीक भारत की विविधता और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं।

7. ''अहिंसा परमो धर्मः ...'' : यह महाभारत से लिया गया है, जो अहिंसा को सर्वोच्च धर्म के रूप में परिभाषित करता है।

8. संविधान की प्रस्तावना : संसद भवन के भीतर संविधान की प्रस्तावना (प्रीएंबल) को भव्य रूप में प्रदर्शित किया गया है।

9. विशाल राष्ट्रीय प्रतीक : नए संसद भवन में राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ (चार सिंह, धर्म चक्र, वृषभ) एक विशालकाय 20 फुट ऊँची मूर्ति संसद भवन के ठीक बीचोंबीच शीर्ष पर (छत पर) स्थापित की गई है।

श्लोक और प्रतीक भारतीय परंपरा, दर्शन और संविधान के मूल्यों को दर्शाने के साथ-साथ भारत के आधुनिक लोकतंत्र और इसकी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के बीच संतुलन स्थापित करते हैं। *(पाथेय डेस्क)*

संविधान की मूल प्रति में दिया गया चित्र

महात्मा गांधी

पुराने संसद भवन में

हिंदू चिंतन व मूल्यों की छाप

भारतीय संविधान सभा की बैठकें जिस भवन में संम्पन्न हुई और जो बाद में संसद भवन बना, उसमें जगह-जगह हिंदू चिंतन और संस्कृति की छाप दिखाई देती है। लोकसभा अध्यक्ष के आसन के ऊपर मोटे अक्षरों में लिखा है 'धर्मचक्र प्रवर्तनाय' (धर्म को गतिमान करने के लिए)। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में भी धर्मचक्र को अंकित किया गया।

इस पुराने संसद भवन के द्वार संख्या एक पर छांदोग्य उपनिषद् से उकेरा गया 'लोकद्वारंपात्राः अनुपश्येमत्वं वयंवेरा' (लोगों के कल्याण के लिए द्वार खोल दो और उन्हें संप्रभुता का मार्ग दिखाओ)'

केन्द्रीय कक्ष के द्वार पर उकेरा गया : 'अयं निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम्, उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्' , अर्थात् 'यह मेरा है, यह पराया है, यह संकीर्ण हृदय वाले सोचते हैं, उदार चरित वाले पूरे संसार को एक परिवार मानते हैं।

लिफ्ट संख्या 1 के निकट गुंबद पर: न सा सभा यत्र न संति वृद्धाः, वृद्धाः न ते ये न वदंति धर्मम्, धर्मः स नो यत्र न सत्यमस्ति, सत्यं न तद्यच्छलमभ्युपैति (महाभारत) अर्थात् 'वह सभा नहीं है, जिसमें वृद्ध न हों; वह वृद्ध नहीं है, जो धर्म के अनुसार नहीं बोलता; वह धर्म नहीं है, जहां सत्य नहीं हो; वह सत्य नहीं है, जिसमें छल हो।'

लिफ्ट संख्या 2 के निकट गुंबद पर: सभां वा न प्रवेष्टव्यं, वक्तव्यं वा समंजसम्, अब्रुवन् विब्रुवन् वापि, नरो भवति किल्बिषी (मनुस्मृति) अर्थात् 'या तो सभा में प्रवेश न करें या उसके भीतर जाएं तो धर्मानुसार ही बोलें क्योंकि नहीं बोलने वाला अथवा असत्य बोलने वाला समान रूप से पाप का भागी होता है।'

हिंदू धरोहर और उसकी मूल्य परंपराओं का भारत के कानूनी एवं प्रशासनिक जीवन पर प्रभाव उस समय और भी स्पष्ट हो जाता है, जब हम विभिन्न संस्थानों द्वारा अंगीकृत किए गए मूल आदर्शों को देखते हैं।

कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं :

(1) भारत सरकार - सत्यमेव जयते
(2) लोकसभा - धर्मचक्र प्रवर्तनाय
(3) उच्चतम न्यायालय-यतो धर्मस्ततो जयः
(4) दूरदर्शन - सत्यम् शिवम् सुंदरम्
(5) भारतीय थलसेना- सेवा अस्माकं धर्मः
(6) भारतीय नौसेना - शं नो वरुणः
(7) भारतीय वायुसेना-नभः स्पृशं दीप्तम्
(8) दिल्ली विवि. - निष्ठा धृतिः सत्यम्
(9) भारतीय जीवन बीमा निगम - योगक्षेमं वहाम्यहम्

स्पष्ट है पुराने संसद भवन में भी चारों ओर भारतीय सभ्यतागत मूल्यों तथा हिंदू चिंतन के आदर्श वाक्यों को उकरवाने-लिखवाने के पीछे एक दृष्टि रही होगी। *(पाथेय डेस्क)*

संविधान निर्माण की प्रक्रिया

भारत का संविधान बनाने के लिए गठित की गई संविधान सभा के सदस्यों की संख्या प्रारंभ में 389 निर्धारित की गई थी जिसमें से 296 ब्रिटिश भारत से तथा 93 देशी रियासतों से लिए जाने थे। इसके लिए ब्रिटिश भारत के प्रांतों की विधानसभा के सदस्यों ने मतदान किया। कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 तथा अन्य 15 सदस्य चुने गए। संविधान सभा की प्रारंभिक बैठकों का मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग के चलते बहिष्कार किया। भारत विभाजन का निर्णय होने के पश्चात संविधान सभा दो हिस्सों में बंट गई। अब भारत की संविधान सभा में ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों की संख्या 229 तथा रियासतों के 70 प्रतिनिधि (कुल 299) थे। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान निर्माण की मांग पूरी होने के बाद भी भारतीय क्षेत्र के मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय संविधान सभा में बने रहे।

9 दिसम्बर, 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। 11 दिसम्बर को संविधान सभा के अध्यक्ष पद पर डॉ.राजेन्द्र प्रसाद निर्वाचित किए गए थे। 13 दिसम्बर को जवाहर लाल नेहरू ने संविधान सभा में 'उद्देश्य प्रस्ताव' प्रस्तुत किया जो उन्होंने संविधान सलाहकार बेनेगल नरसिंह राव (बी.एन.राव) के सहयोग से तैयार किया था। इस प्रस्ताव में संविधान सभा के काम का मार्गदर्शन करने के लिए सामान्य सिद्धांतों तथा संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख किया गया था।

संविधान के विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श करने के लिए 8 बड़ी समितियां तथा कई उपसमितियां बनाई गई। उन समितियों-उपसमितियों के अध्यक्षों में डॉ.राजेन्द्र प्रसाद, पं. नेहरू, सरदार पटेल, जे.बी.कृपलानी, एच.सी. मुखर्जी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, पट्टाभिसीतारमैय्या, के.एम. मुंशी, जी.वी. मावलंकर, एस.वरदाचारी, नलिनी रंजन सरकार, एस.के.डार, उषानाथ सेन, आदि के नाम शामिल हैं।

समितियों के प्रतिवेदन संविधान सभा के समक्ष रखे गए। समितियों के प्रतिवेदन तथा उन पर संविधान सभा में हुई चर्चा व निर्णयों के आधार पर संविधान सलाहकार बी.एन.राव ने संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। इस प्रारूप पर फिर से संविधान सभा में बहस हुई।

29 अगस्त, 1947 को डॉ.भीमराव रामजी अंबेडकर के नेतृत्व में सात सदस्यीय प्रारूप समिति बनाई गई। श्री बी.एन.राव द्वारा तैयार किए गए प्रारूप का विश्लेषण कर संविधान सभा के निर्णयों व सुझाये गये सुधारों पर विचार करते हुए एक अंतिम प्रारूप बनाने का कार्य इस 'प्रारूप समिति' को करना था।

डॉ.अंबेडकर की प्रारूप समिति ने आवश्यक बदलाव के पश्चात् 21 फरवरी, 1948 को अपना प्रारूप संविधान सभा को सौंपा। इसे जनता के मध्य प्रकाशित किया गया। कई टिप्पणियां, आलोचनाएं और सुझाव प्राप्त हुए। प्रारूप समिति ने इन पर विचार कर संशोधनों सहित फिर से 4 नवम्बर, 1948 को एक नया प्रारूप प्रस्तुत किया।

संविधान सभा ने संविधान प्रारूप के प्रत्येक अनुच्छेद पर चर्चा की। यह बहस 17 अक्टूबर, 1949 तक चली। सदस्यों ने बड़ी संख्या में संशोधन के प्रस्ताव रखे। परंतु अधिकांश संशोधनों को अंतत: अस्वीकार कर दिया गया।

बहस समाप्त होने के बाद प्रारूप समिति ने संविधान सभा में लिए गए निर्णयों के अनुसार एक बार फिर प्रारूप को संशोधित किया। अनुच्छेदों को फिर से क्रमांकित करना, भाषा में आवश्यक बदलाव करना और अनुच्छेदों में खंड जोड़ना या हटाना जैसे कार्य किए गए।

संशोधित संविधान प्रारूप पर 3 नवम्बर, 1949 को संविधान सभा में संक्षिप्त बहस होने के बाद इसके पक्ष में मतदान हुआ। इस पूरी प्रक्रिया से निर्मित संविधान को डॉ. अंबेडकर ने संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ.राजेन्द्र प्रसाद को सौंपा। संविधान सभा ने 26 नवम्बर, 1949 को संविधान अंगीकृत किया।

डॉ.अंबेडकर ने संविधान सभा में दिए अपने अंतिम भाषण (25 नवम्बर, 1949) में बताया कि संविधान के प्रारूप पर 7635 संशोधन प्रस्ताव प्राप्त हुए थे इनमें से 2473 संशोधन प्रस्तावों पर प्रारूप समिति ने विचार किया। डॉ.अंबेडकर ने बताया कि प्रारूप समिति की 141 बैठकें हुई। उन्होंने प्रारूप तैयार करने वाले श्री एस एन मुखर्जी के योगदान की विशेष सराहना की। डॉ.अंबेडकर ने कहा कि ''अत्यंत उलझे हुए प्रस्तावों को सुलभ व सुस्पष्ट कर कानून के रूप में रखने की श्री मुखर्जी की योग्यता का जवाब नहीं है तथा उनकी सहायता के बिना संविधान को अंतिम रूप देने में इस समिति को कई वर्ष लग जाते।''

प्रारूप समिति के सात सदस्यों में से एक टी टी कृष्णमाचारी ने समिति में डॉ. अंबेडकर के योगदान को इन शब्दों में व्यक्त किया-''संसद को यह कल्पना नहीं होगी कि हमने जो नाम सुझाये थे, उनमें से एक ने संसद से त्यागपत्र दिया हुआ था और उसके स्थान पर दूसरे किसी की नियुक्ति नहीं की गयी। एक दूर अमेरिका में था, उसका स्थान भी भरा नहीं गया। एक अन्य सदस्य राज्य की उठापटक में व्यस्त था। दो दिल्ली से दूर थे व बिगड़े स्वास्थ्य के कारण उपस्थित नहीं हो पाते थे। अन्तत: हुआ यह कि प्रारूप तैयार करने का सारा भार डॉ.अम्बेडकर पर आया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह काम यशस्वी रीति से करने के लिए हम उनके ऋणी हैं।'' ■

(पाथेय डेस्क)

संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर संसद भवन में ऐतिहासिक समारोह

लंबे स्वाधीनता संग्राम का परिणाम है हमारा संविधान : राष्ट्रपति मुर्मू

26 नवम्बर, 2024 को संविधान अंगीकार करने के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मुख्य समारोह पुराने संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष (सेंट्रल हॉल) में आयोजित किया गया। समारोह में भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, अन्य सांसद और गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए।

इस अवसर पर एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया। 'भारतीय संविधान का निर्माण: एक झलक' तथा 'भारतीय संविधान का निर्माण और इसकी गौरवशाली यात्रा' शीर्षक वाली पुस्तकें एवं 'भारतीय संविधान की कला को समर्पित पुस्तिका' का विमोचन किया गया। इसके साथ ही संस्कृत एवं मैथिली भाषा में भारत के संविधान प्रकाशित किए गए।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मू के संबोधन के प्रमुख अंश :

''हमारा संविधान, हमारे लोकतांत्रिक गणतंत्र की सुदृढ़ आधारशिला है। हमारा संविधान, हमारे सामूहिक और व्यक्तिगत स्वाभिमान को सुनिश्चित करता है।''

''एक अर्थ में, भारत का संविधान कुछ महानतम मेधावी लोगों द्वारा लगभग तीन वर्षों के विचार-विमर्श का परिणाम था। लेकिन, सही अर्थों में, यह हमारे लंबे स्वाधीनता संग्राम का परिणाम था। उस अतुलनीय राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों को संविधान में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। उन आदर्शों को सुस्पष्ट और संक्षिप्त रूप से संविधान की प्रस्तावना में व्यक्त किया गया है। वे आदर्श हैं - न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ये आदर्श सदियों से भारत को परिभाषित करते रहे हैं। संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्श एक दूसरे के पूरक हैं। समग्र रूप से ये सभी आदर्श ऐसा वातावरण उपलब्ध कराते हैं जिसमें हर नागरिक को फलने-फूलने, समाज में योगदान देने तथा साथी नागरिकों की मदद करने का अवसर मिलता है।''

''हमारे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के साथ- साथ सभी देशवासियों की सक्रिय भागीदारी से हमारे संवैधानिक आदर्शों को शक्ति मिलती है। हमारे संविधान में प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना, समाज में समरसता की भावना का निर्माण करना, महिलाओं के सम्मान को सुनिश्चित करना, पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा राष्ट्र को उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों तक ले जाना नागरिकों के मूल कर्तव्यों में शामिल हैं।''

''हमारा संविधान एक जीवंत और प्रगतिशील दस्तावेज है। बदलते समय की मांग के अनुसार नए विचारों को अपनाने की व्यवस्था हमारे दूरदर्शी संविधान-निर्माताओं ने बनाई थी। हमने संविधान के माध्यम से सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के अनेक बड़े लक्ष्यों को प्राप्त किया है। नई सोच के साथ हम भारत को विश्व-समुदाय में नई पहचान दिला रहे हैं। हमारे संविधान-निर्माताओं ने भारत को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का निर्देश दिया है। आज एक अग्रणी अर्थ-व्यवस्था होने के साथ-साथ हमारा देश विश्व-बंधु के रूप में यह भूमिका बखूबी निभा रहा है।'' उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनकड़ ने भी समारोह को संबोधित किया।

(पाथेय डेस्क)

संसद में संविधान पर विशेष चर्चा

संसद में 13-14 दिसम्बर, 2024 को 'भारतीय संविधान के 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा' पर एक विशेष चर्चा आयोजित की गई। 15 घंटे 43 मिनट तक चली इस चर्चा में 62 सदस्यों ने भाग लिया।

पंचतीर्थ (बाबा साहब अंबेडकर के जीवन से जुड़े स्थान)

बाबा साहब डॉ.भीमराव अंबेडकर से जुड़े प्रमुख स्थानों को 'पंचतीर्थ' के नाम से केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा है। ये हैं: मध्य प्रदेश के **महू** में उनका जन्मस्थान, **नागपुर** में दीक्षा भूमि, **मुंबई** की चैत्य भूमि जहां उनका दाह संस्कार हुआ था दिल्ली के **हलीपुर** का घर जहां बाबा साहब ने जीवन के अंतिम वर्ष बिताये थे तथा **लंदन** में वह घर जहां बाबा साहब उच्च शिक्षा के समय रूके थे।

भव्य - दिव्य महाकुम्भ

प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम पर आयोजित महाकुम्भ संभवत: विश्व में अब तक का सबसे विशाल मेला (समागम) है जिसमें 13 जनवरी से 26 फरवरी तक की अवधि में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं की सहभागिता संभावित है। इसकी भव्यता और दिव्यता अद्भुत है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा इस आयोजन के कुशल प्रबंधन ने इसका महत्व बढ़ा दिया है।

सभी 13 प्रमुख धार्मिक अखाड़ों की विशाल शोभायात्राएं, उनमें महामण्डलेश्वर तथा अन्य संतों की भव्य सवारियां, भक्तों का रेला तथा नागा साधुओं का शस्त्र संचालन- सब कुछ नयनाभिराम तो है ही, श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक आनंद देने वाला भी है। मेले में धार्मिक प्रवचन, भजन-कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन इसकी दिव्यता को बढ़ाने वाला है। विश्व के अनेक देशों से भी श्रद्धालुओं का आना जारी है।

राजस्थान सरकार ने कुम्भ स्थल पर राजस्थान के श्रद्धालुओं के ठहरने हेतु राजस्थान मण्डप तैयार किया है। प्लॉट नं.97, सेक्टर-07, कैलाशपुरी मार्ग, प्रयागराज, (मो.9929860529 तथा 9887812885)। इस मण्डप में आवास तथा भोजन व्यवस्था नि:शुल्क रहेगी।

जीते जीते रक्तदान, जाते जाते नेत्रदान

नेत्र कुम्भ के माध्यम से होगा 60 हजार लोगों का ऑपरेशन

प्रयागराज महाकुम्भ के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी संस्था 'सक्षम' के प्रयासों से बीती 6 जनवरी से प्रारंभ हुआ है नेत्र कुम्भ। इसमें 500 नेत्र चिकित्सकों द्वारा महाकुम्भ की अवधि (50 दिनों) में 5 लाख लोगों के नेत्र की जांच की जायेगी तथा 3 लाख नि:शुल्क चश्मे वितरित किए जायेंगे।

60 हजार नेत्र ऑपरेशन इस नेत्र कुम्भ के माध्यम से होंगे। बड़ी बात यह है कि 250 संस्थाएं एक साथ नेत्रदान तथा ऑपरेशन में सहयोग करेंगी।

नेत्र कुम्भ उद्घाटन के मुख्य अतिथि संघ के सह सरकार्यवाह डॉ.कृष्णगोपाल ने इस अवसर पर कहा कि सभी देशवासी कॉर्निया दान का संकल्प लें तथा दृष्टि बाधितों की समस्या दूर करने में अपना योगदान दें।

उद्घाटन कार्यक्रम में 'जीते जीते रक्तदान, जाते जाते नेत्रदान' के नारों के बीच जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरि, इस्कॉन के अंतरराष्ट्रीय ट्रस्टी गौरांग महाप्रभु ने भी संबोधित किया।

सामाजिक समरसता का कुम्भ

अनुसूचित जाति के 370 व्यक्ति बनेंगे महंत - महामंडलेश्वर

महाकुम्भ मेला 2025 में वंचित समाज के 370 लोग महंत-महामंडलेश्वर बनेंगे। यह कदम सामाजिक समरसता और धार्मिक एकता को बढ़ावा देने वाला सिद्ध होगा। महामंडलेश्वर की उपाधि पाने वाले संतों को मठ-मंदिरों के संचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी जिससे वे समाज में अपनी गतिविधियों का विस्तार कर सकें।

'राष्ट्रहितं मम कर्त्तव्यम्' थीम पर आयोजित
दो दिवसीय 'द ढूंढाड़ टॉक्स' सम्पन्न

उद्घाटन सत्र का शुभारंभ करते राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े व संघ के अ.भा.सह प्रचार प्रमुख श्री प्रदीप जोशी व अन्य अतिथि

बीती 17-18 जनवरी को ' द ढूंढाड़ टॉक्स-2025' में 'राष्ट्रहितं मम कर्त्तव्यम्' थीम के साथ जयपुर के पूर्णिमा इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित किया गया।

उद्घाटन सत्र 'स्व की ओर भारत' विषय पर अपने विचार रखते हुए राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि राष्ट्र कोई भूमि का टुकड़ा नहीं बल्कि विचार है। सनातन भारत की दृष्टि उदात्त जीवन मूल्यों में है।

संघ के अ.भा.सह प्रचार प्रमुख श्री प्रदीप जोशी का कहना था कि भारत का विचार आध्यात्म का विचार है, इसी पर हमारा जीवन आधारित है। इस विचार से ही देश व समाज का विकास हुआ है।

उन्होंने यह भी कहा कि देश के 'स्व' के भाव को समझने एवं अनुभव करने की आवश्यकता है। यह विचार ही हमारा मुख्य विषय है। 'स्व' के विचार को लेकर ही भारत आगे बढ़ेगा तो उन्नति के शिखर पर जा सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान हमको कर्तव्य की भावना सिखाता है। यह हमको अधिकार जरूर देता है लेकिन हमारी जिम्मेदारी भी तय करता है।

दो दिनों में कुल आठ सत्र आयोजित किए गए। ऑर्गेनाइजर के संपादक श्री प्रफुल केतकर ने 'डीप स्टेट, सांस्कृतिक मार्क्सवाद व वोकिज्म' पर विस्तार से चर्चा की।

लेखक, वक्ता एवं इतिहास विशेषज्ञ राजवीर सिंह चकलोई व पाथेय कण के सह प्रबंध संपादक श्याम सिंह ने 'राजस्थानी संस्कृति हमारा गौरव' एवं 'राजस्थान का अनछुआ गौरव' विषय पर युवाओं से जीवंत संवाद किया।

समापन कार्यक्रम में श्री जसवंत खत्री ने कहा कि आज विश्व विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त है, भारत का 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का विचार ही इन समस्त समस्याओं का समाधान है।

विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने विश्व का मार्गदर्शन करने में भारत के योगदान की चर्चा की।

प्रदीप गोपाल स्मृति न्यास द्वारा आयोजित इस साहित्य व वैचारिक महाकुंभ का आयोजन जयपुर की पूर्णिमा ग्रुप ऑफ कॉलेज व एयू बैंक के संयुक्त तत्वावधान में सीतापुरा में किया गया था।

संक्षिप्त समाचार

अजमेर में भव्य पथ संचलन

बीती 19 जनवरी को अजयमेरू महानगर में संघ द्वारा भव्य पथ संचलन निकाला गया। इस अवसर पर 4 हजार से अधिक उपस्थित स्वयंसेवकों को सम्बोधित करते हुए संघ के क्षेत्र प्रचारक श्री निम्बाराम ने पंच परिवर्तनों के बारे में मार्गदर्शन किया।

सक्षम का सशक्तिकरण समारोह

जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में 18 जनवरी को सक्षम की ओर से ''दिव्यांग सशक्तिकरण समारोह'' आयोजित किया गया। इससे पूर्व बीती 24 दिसम्बर को इसी अस्पताल में 'सक्षम' दिव्यांग हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया था। पाली के बांगड़ अस्पताल में भी ऐसी ही एक हेल्प डेस्क प्रारंभ किए जाने का समाचार है।

गो-विज्ञान परीक्षा : 90 हजार विद्यार्थी बैठे

गाय का महत्व व उपयोगिता से अवगत कराने के लिए संघ की 'गो-सेवा गतिविधि' द्वारा प्रदेश स्तर पर विविध चरणों में 'गो विज्ञान एवं सामान्य ज्ञान परीक्षा का आयोजन हुआ। जयपुर प्रांत में जिला स्तर पर गत 19 जनवरी को आयोजित परीक्षा में 2500 स्कूलों के 90 हजार विद्यार्थियों ने सहभाग किया।

खिलाड़ी माताओं को जीजामाता सम्मान

गत 19 जनवरी को भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रसिद्ध खिलाड़ियों की माताओं को क्रीड़ा भारती द्वारा 'जीजामाता सम्मान' से सम्मानित किया गया। उन्हें संघ के सरकार्यवाह श्री दत्तात्रेय होसबाले ने यह सम्मान दिया। इस अवसर पर अ.भा. स्तर पर आयोजित क्रीड़ा ज्ञान प्रतियोगिता-2024 के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया। उक्त परीक्षा में एक लाख से अधिक विद्यार्थियों ने सहभाग किया था।

सेवा भारती का चिकित्सा शिविर

जयपुर प्रांत इकाई द्वारा बीती 19 जनवरी को जयपुर के कठपुतली नगर में आयोजित नि:शुल्क चिकित्सा शिविर में 215 रोगियों को परामर्श और जाँच के बाद दवाइयां वितरित की गई।

आतंकवादी हमले से पीड़ित बेटी के विवाह के लिए आगे आया समाज

चेहरे पर वापस लौटी मुस्कान की मुस्कान

16 साल पहले (13 मई, 2008 को) जयपुर में हुए आतंकवादी हमले के दौरान किए गए बम विस्फोट में मारे गए लोगों के अनाथ बच्चों के लालन-पालन, शिक्षा और विवाह की जिम्मेदारी निभाने में कई सामाजिक संस्थाएं आगे आईं। सर्व मंगल सेवा समिति और राजस्थान प्रदेश पंजाबी महासभा तथा आर्य समाज इन्हीं में से हैं, जिन्होंने अनाथ-पीड़ित परिवारों के बच्चों को गोद लेकर उनका जीवन संवारा है।

सांगानेरी गेट स्थित हनुमान मंदिर में के सामने हुए ऐसे ही बम विस्फोट से नाड़ी का फाटक मुरलीपुरा निवासी घनश्याम सिंह तंवर की मृत्यु हो गई थी। उनकी बेटी मुस्कान का विवाह उक्त संस्थाओं द्वारा पूरा खर्च वहन करते हुए बीती 16 जनवरी को आमेर रोड स्थित रोशन हवेली में सम्पन्न कराया गया।

राजस्थान प्रदेश पंजाबी महासभा के अध्यक्ष श्री रवि नैय्यर ने बताया कि उक्त आतंकवादी हमले में मृत्यु को प्राप्त लोगों के परिवारों की 9 बेटियों का विवाह सम्पन्न कराया जा चुका है। मुस्कान 10वीं बेटी है जिसका विवाह संस्था द्वारा कराया गया है। एम कॉम की पढ़ाई पूरी कर चुकी मुस्कान को उम्मीद नहीं थी कि विकट परिस्थितियों के बाद भी उसका विवाह धूमधाम से हो सकेगा।

इस अवसर पर राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े, संघ के क्षेत्र प्रचारक श्री निम्बाराम, सेवा भारती के क्षेत्र संगठन मंत्री श्री मूलचन्द, राजस्थान सरकार के कई मंत्री, विधायक तथा सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

आवश्यक सूचना

सुहृदय पाठकगण, वर्ष 2024-25 के लिए पाथेय कण हेतु आप द्वारा दी गई समर्पण निधि (सहयोग राशि) आगामी मार्च माह में समाप्त हो रही है।

पाथेय कण गत वर्षों से रंगीन एवं अच्छे कागज पर प्रकाशित हो रहा है। इन वर्षों में कागज के मूल्य व छपाई की दरों में काफी वृद्धि हुई है। इसको ध्यान में रखते हुए आगामी सत्र (2025-26) के लिए समर्पण निधि में बढ़ोत्तरी करने का निर्णय लिया गया है।

- *सामान्य समर्पण निधि रु. 200/-*
- *विशेष समर्पण निधि रु. 2000/-*

सामान्य समर्पण निधि प्रदाता को पाथेय कण एक वर्ष तक तथा विशेष समर्पण निधि देने वालों को पाथेय कण 15 वर्षों तक भेजी जायेगी। आशा है आप पाथेय कण के प्रति अपना स्नेह पूर्व की भांति बनाए रखेंगे।

आपसे यह भी आग्रह है कि हर बार की तरह इस बार भी एक नए मित्र को पाथेय कण से जोड़ें।

प्रबंध संपादक

संविधान की निंदा करने वाले

संविधान की निंदा दो तरह के लोगों, कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवादी पार्टी द्वारा की जाती है। ये लोग संविधान की निंदा क्यों करते हैं? क्या इसलिए कि यह वास्तव में ही खराब संविधान है? मैं यह कहने का साहस कर रहा हूँ कि 'नहीं'। कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसा संविधान चाहती है जो सर्वहारा वर्ग की तानाशाही पर आधारित हो। वे (भारतीय) संविधान की निंदा करते हैं क्योंकि यह संसदीय प्रजातंत्र पर आधारित है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की नव-निर्वाचित केन्द्रीय समिति ने संविधान सभा द्वारा बनाए गए भारत के संविधान की निंदा करते हुए वक्तव्य जारी किया है।

-डॉ.भीमराव रामजी अम्बेडकर

इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी पाकिस्तान के निर्माण का समर्थन करने के लिए रूस के संविधान तथा एक स्टालिन के लेखन में औचित्य ढूंढ रही है।

-डॉ.राजेन्द्र प्रसाद, पूर्व राष्ट्रपति

प्रहार दिवस : वीर बलिदानियों को संघ शाखाओं पर किया याद

एक लाख स्वयंसेवकों ने लगाए 8 करोड़ से अधिक प्रहार

16 दिसम्बर, 1971 को भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान शत्रु पक्ष के 93 हजार सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने सशस्त्र आत्म-समर्पण के लिए मजबूर किया था। इस दौरान कई भारतीय सैनिकों ने बलिदान दिया। उन्हीं बलिदानी सैनिकों के सम्मान में संघ वर्ष 2012 से प्रतिवर्ष विजय दिवस को प्रहार दिवस के रूप में मनाता आ रहा है।

इस दिन देशभर में संघ शाखाओं के शिशु, बाल, तरुण और प्रौढ़ वर्ग के सभी स्वयंसेवक प्रहार लगाकर वीरगति प्राप्त हुए हमारे बलिदानियों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। इसके पीछे संघ का उद्देश्य युवाओं को दृढ़ निश्चयी, संगठित, शक्ति सम्पन्न व पुरुषार्थी बनाना है। राजस्थान क्षेत्र के तीनों प्रांतों (जयपुर, चित्तौड़, जोधपुर) में कुल 1 लाख, 829 स्वयंसेवकों ने 8 करोड़, 88 लाख 31 हजार 460 प्रहार लगाए। जयपुर प्रांत में एक हजार से अधिक प्रहार लगाने वाले 7,320 व चित्तौड़ प्रांत में 15,938 स्वयंसेवक थे।

प्रांत	शाखा	स्वयंसेवक	कुल प्रहार
जयपुर	2,655	20,527	1,84,67,696
चित्तौड़	4,792	57,996	5,22,90,027
जोधपुर	1,588	22,306	1,80,73,737
महायोग	9,035	1,00,829	8,88,31,460

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल पुरस्कार

पाथेय कण संस्थान के अध्यक्ष डॉ.पाण्डेय को

साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2023 का अखिल भारतीय आचार्य रामचन्द्र शुक्ल पुरस्कार (आलोचना विधा) हिंदी साहित्य के प्रख्यात विद्वान प्रो. नन्द किशोर पाण्डेय को दिया जायेगा। यह पुरस्कार साहित्य अकादमी भोपाल और मध्य प्रदेश शासन संस्कृति परिषद् की ओर से दिया जाता है। सम्मान स्वरूप 1 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है। यह पुरस्कार प्रो.पाण्डेय को उनकी पुस्तक 'भारत बोध और भक्ति कविता' के लिए दिया गया है। प्रो.पाण्डेय वर्तमान में राजस्थान विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग तथा पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में अध्यक्ष हैं। वे पाथेय कण संस्थान के भी अध्यक्ष हैं।

राष्ट्र सेविका समिति के शीतकालीन प्रशिक्षण वर्ग सम्पन्न

बाड़मेर विभाग, जोधपुर प्रांत

झुंझुनूं विभाग, जयपुर प्रांत

अंडमान निकोबार

जयपुर

भांकरोटा हादसे में घायलों की मदद हेतु सेवा भारती समिति द्वारा 2.50 लाख रुपए की दवाइयां एसएमएस हॉस्पीटल को भेंट करते हुए प्रांत संगठन मंत्री श्री द्वारका प्रसाद, अधीक्षक डॉ. सुशील भाटी व अन्य कार्यकर्ता

जोधपुर

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, राजस्थान के दो दिवसीय 63वें अधिवेशन को सम्बोधित करते संघ के क्षेत्र प्रचारक श्री निम्बाराम

अजमेर

भील बस्ती नाका मदार में अहिल्याबाई होल्कर त्रिशताब्दी वर्ष के अंतर्गत सेविका समिति द्वारा नि:शुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया जिसमें समिति की अ.भा.सेवा प्रमुख उपस्थित रहीं।

जयपुर

गीता जयंती व तुलसी दिवस के उपलक्ष्य में शास्त्री नगर स्थित तत्कालेश्वर महादेव मंदिर से दुर्गावाहिनी की 300 बहनों द्वारा पथ संचलन निकाला गया।

राजसमंद

मेवाड़ टॉक फेस्ट में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता रहे प्रतिभागी

"एक थैला एक थाली" अभियान
प्रयागराज "महाकुम्भ-2025"

प्रयागराज कुम्भ को पर्यावरण युक्त बनाने हेतु संघ की पर्यावरण गतिविधि द्वारा राजस्थान क्षेत्र से 2 लाख 15 हजार 829 थैले व 2 लाख 10 हजार 840 थाली भेजी गई है। प्रांत अनुसार विवरण इस प्रकार है :

प्रांत	थैले	थाली
जयपुर	70,000	60,000
जोधपुर	1,01,290	1,02,234
चित्तौड़	44,539	48,606
योग	**2,15,829**	**2,10,840**

जयपुर प्रांत

जोधपुर प्रांत

अभियान के अंतर्गत सामग्री रवाना करते कार्यकर्ता

पुष्कर

त्रिशताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में पुष्कर में 300 से अधिक बालिकाएं लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर के वेश में शोभायात्रा में शामिल हुईं।

ADITYA BIRLA
BUILDING SOLUTIONS
देश का नं.1 सीमेंट
UltraTech
CEMENT
The Engineer's Choice
अल्ट्राटेक
सीमेंट
इंजीनियर की पसंद

राजस्थान सरकार

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

एक वर्ष
परिणाम उत्कर्ष

श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना हेतु एमओए एवं राजस्थान में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का मार्ग प्रशस्त करने पर

श्री नरेन्द्र मोदी

माननीय प्रधानमंत्री जी

का

राजस्थान की 8 करोड़ देवतुल्य जनता की तरफ से
कोटि कोटि धन्यवाद एवं आभार

भजनलाल शर्मा
मुख्यमंत्री, राजस्थान

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार

पाक्षिक
पाथेय कण
16 जनवरी व 1 फरवरी, 2025 (संयुक्तांक)
(25 जनवरी को प्रकाशित, पृष्ठ 44)

आर.एन.आई पंजीयन क्र. 48760/87
डाक पंजीयन संख्या JAIPUR CITY 202/2024-26

अग्रिम शुल्क बिना प्रेषण की अनुमति लाइसेंस संख्या
JAIPUR CITY/WPP 01/2024-26

Springboard ACADEMY
AN INSTITUTE FOR IAS & RAS

We Bring The Best Out Of You

The Mentors who will take you to success

Sunil Punia Sir

Narendra sir

Rajveer sir

Dileep Mahecha
Director

Vijay Singh Shekhawat sir

Lakshita Khangarot Mam

Vijay sir

IAS/ RAS में नियमित सर्वश्रेष्ठ परिणाम स्प्रिंगबोर्ड की उत्कृष्टता का प्रमाण है।

RAS | PSI

FOUNDATION | BATCH

28 जनवरी से बैच प्रारम्भ (Online & Offline)

Exclusive Live Batch from Classroom

"Give a Strong Boost to your IAS/ RAS Preparation under the Guidance of Best Team in Rajasthan"
प्रशासनिक सेवा की तैयारी हेतु कोचिंग संस्थान के चयन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रहती है। परंतु प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। स्प्रिंगबोर्ड अकादमी का परिणाम ही उसकी पहचान है। अतएव अभ्यर्थी बिना किसी आशंका के "स्प्रिंगबोर्ड अकादमी" का चयन करता है। विगत भर्तियों के परिणाम इस बात की पुष्टि करते हैं। अधिकांश चयन "स्प्रिंगबोर्ड अकादमी" से जुड़े हुए अभ्यर्थियों का हुआ है। पूरा राजस्थान IAS/ RAS हेतु प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रूप से "स्प्रिंगबोर्ड अकादमी" के नोट्स उपयोग में लेता है जो इस परीक्षा हेतु अकादमी के नोट्स की सटीकता दर्शाता है।

स्प्रिंगबोर्ड अकादमी के निदेशक "दिलीप महेचा" के अनुसार व्यक्ति को उसके जीवन में एक बार तो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि यह तैयारी उसके व्यक्तित्व विकास में बहुत सहायक सिद्ध होती है। स्प्रिंगबोर्ड इस तैयारी में अभ्यर्थी को पारिवारिक माहौल प्रदान कर जीवन के उच्चतम आयामों तक पहुंचने में सहायता प्रदान करता है। यहां की अनुभवी शिक्षकों की टीम, सहायक स्टाफ छात्रों की सहायतार्थ सदैव उपस्थित है। विगत वर्षों में सिविल सेवा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने की वजह यहां की प्रारम्भिक और मुख्य परीक्षा आधारित साप्ताहिक टेस्ट सीरीज, टॉपर्स से लगातार मोटिवेशनल कक्षाएं, प्रतिदिन उत्तर– लेखन अभ्यास व सही मार्गदर्शन है। अतएव स्प्रिंगबोर्ड अकादमी का हिस्सा बनकर अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम उठाएं।

- IAS/ RAS में राज्य का सर्वश्रेष्ठ परिणाम।
- अनुभवी शिक्षकों की समर्पित टीम।
- शिक्षकों से नियमित संवाद व समस्या समाधान।
- चयनित छात्रों द्वारा मार्गदर्शन व नियमित उत्तर लेखन अभ्यास।
- मानक पुस्तकों का समावेशन कर सारगर्भित हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम में पाठ्य सामग्री।
- प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा आधारित साप्ताहिक टेस्ट सीरीज व मूल्यांकन।
- समसामयिकी हेतु मासिक पत्रिका व नियमित कक्षाएं।
- अंतर विषयक समझ विकसित करने का प्रयास।
- वातानुकूलित व तकनीकी सुविधायुक्त क्लासरूम व निःशुल्क वाहन सुविधा।

Riddhi - Siddhi, Gopalpura Bypass, Jaipur
9636977490, 0141-3555948

ऐप डाउनलोड करने के लिए
QR Code स्कैन करें
GET IT ON Google Play

Connect with us- Springboard Academy Online | Springboard Academy Jaipur

स्प्रिंगबोर्ड एकेडमी के IAS, RAS हेतु प्रमाणित क्लास नोट्स उपलब्ध The Notes Hub 7610010054, 7300134518

स्वत्वाधिकारी पाथेय कण संस्थान के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक माणकचन्द
द्वारा कुमार एण्ड कम्पनी, ए-10, 22 गोदाम औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर से मुद्रित
प्रकाशकीय कार्यालय : पाथेय भवन, 4 मालवीय संस्थानिक क्षेत्र, मालवीय नगर, जयपुर-302017
सम्पादक- रामस्वरूप अग्रवाल
प्रेषण दिनांक 1,2,3,4 व 5 फरवरी, 2025 आर.एम.एस.(पी.एस.ओ.) जयपुर

प्रतिष्ठा में,